




Gi GROUP INDIA COMPLIANCE NEWSLETTER

OCTOBER'2025 EDITION



Dear Reader,

We are delighted to present the October'25 edition of our monthly Compliance Newsletter. The newsletter will help you stay updated with the latest regulatory changes, notifications, and amendments.

In this edition of our monthly Compliance Newsletter, we bring you the latest Minimum Wages revisions notifications from the states of Gujarat, Madhya Pradesh, Haryana, Telangana and Andhra Pradesh.

Further, we have also appended the notifications and amendments released in the month of October'25. Some of the important announcements made in this newsletter are circular regarding filing monthly contribution showing large no. of tagged employees with zero days in ESI, extending the ESI medical benefits to entire area of Soreng, Gyalshing and Mangan Districts in state of Sikkim, and many more.

Read further to know more!

Best Regards,
Gi Group India

[Follow For More Updates](#)



About Gi Group India

Gi Group India is one of the world's leading human capital solutions and services provider, offering services in various domains of talent acquisition and management. The group is active in the fields of Temporary and Permanent Staffing, Site Managed Services, Search & Selection, Domestic & International Recruitment, Recruitment Process Optimization (RPO), Executive Search, and HR Consulting & Training. We have direct and indirect presence and strategic partnerships in about 57 countries across Europe, Asia, America, and Africa. Gi Group has developed strong expertise through its specialist divisions and dedicated local and international teams.

Gi Group has been present in India for the last two decades, helping clients implement highly crucial projects by hiring and managing great talent. In India Gi Group actively works with customers across the country through a network of offices in 10 major cities. We help organizations achieve accelerated growth by helping them acquire the right kind of talent and providing them with a continuum of staffing solutions, from short-term to long-term and incidental to strategic, for organizations of all sizes and across multiple locations.

Our list of clients ranges from global Fortune 500 companies to large Indian Companies and New Economy Startups. We service our customers through a combination of technology and an extremely agile and responsive team of recruiters and process specialists, thus enabling our clients to focus on business performance and productivity. Ranked globally and in India as one of the largest staffing firms by Staffing Industry Analysts, Gi Group is also a global corporate member of the World Employment Confederation (formerly CIETT).

In India, Gi Group is one of the founding members of the Indian Staffing Federation (ISF). Gi Group is also a long-term strategic member of the National HRD Network.

MINIMUM WAGES REVISIONS

Gujarat Minimum Wages Revision

The Government of Gujarat Vide Serial No.Sr.A.6/T.3/2025/703 to 724, has released Notification regarding revision of Special Allowances/VDA and minimum wages w.e.f 01st Oct 2025. Please refer to the below table for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Gujarat					
Effective Date: 01/10/2025					
Category: Shops & Commercial Establishment					
Class of Employment	Zone	Basic Per Day	VDA Per Day	Total Per Day	Total Per Month
Unskilled	Zone I	452	48.5	500.5	13013
Unskilled	Zone II	441	48.5	489.5	12727
Semi-Skilled	Zone I	462	48.5	510.5	13273
Semi-Skilled	Zone II	452	48.5	500.5	13013
Skilled	Zone I	474	48.5	522.5	13585
Skilled	Zone II	462	48.5	510.5	13273

Madhya Pradesh Minimum Wages Revision

The Government of Madhya Pradesh Vide Number 1-5/11/Anv/Five/2024/24861, has released Notification regarding revision of VDA and minimum rate of wages for various scheduled employment w.e.f 01st Oct 2025. Please refer to the below table for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Madhya Pradesh			
Effective Date: 01/10/2025			
Category: Shops & Commercial Establishment			
Class of Employment	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Unskilled	9575	2575	12150
Semi-skilled	10571	2575	13146
Skilled	12294	2575	14869
Highly Skilled	13919	2575	16494

Haryana Minimum Wages Revision

The Government of Haryana Vide No. A/R 2-/2025/28373-498, has released Notification regarding revision of VDA and minimum wages for various employments w.e.f 01st July 2025. Please refer to the below table for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Haryana			
Effective Date: 01/07/2025			
<u>Category: Shops & Commercial Establishment</u>			
Category	Minimum Wages w.e.f. 01/01/2025	VDA w.e.f. 01/07/2025	Minimum Wages w.e.f. 01/01/2025
Unskilled	11257.12	17.48	11274.60
Semi-Skilled (A)	11819.94	18.35	11838.29
Semi-Skilled (B)	12410.91	19.27	12430.18
Skilled (A)	13031.47	20.24	13051.71
Skilled (B)	13683.06	21.25	13704.31
Highly-Skilled	14367.21	22.31	14389.52

Telangana Minimum Wages Revision

The Government of Telangana Vide a press note on revision of minimum wages for scheduled employment with effect from 01st Oct 2025. Please refer to the below table for the revised minimum wages and press note appended herewith for more details:

State: Telangana					
Effective Date: 01/10/2025					
Category: Commercial Establishment					
Class of Employment	Category	Zone	Basic	DA	Minimum Wages
Manager/ Field Officer/ Development Officer/ Security Officer/ Office Incharge/ Computer Programmer	HIGHLY SKILLED	ZONE I	5557	9062	14619
		ZONE II	5138	9062	14200
Accountant/ Asst. Manager/ Sales Executive/ Supervisor/ Purchaser/ Store Keeper/ Agent/ Sales Promotion Employees	SKILLED- A	ZONE I	4722	9062	13784
		ZONE II	4520	9062	13582
Salesman/ Stenographer/ Receptionist/ Auction Bider/ Tradesman/ Type Writer Instructor	SKILLED- B	ZONE I	4520	9062	13582
		ZONE II	4302	9062	13364
Clerk/ Typist/Clerk-cum-Typist/ Godown Incharge/Lineman/ Assistant Salesman/ Asst. Accountant/ Xerox Machine Operator	SEMI SKILLED- A	ZONE I	4102	9062	13164
		ZONE II	3886	9062	12948
Clerk/ Typist/Clerk-cum-Typist/ Godown Incharge/Lineman/ Assistant Salesman/ Asst. Accountant/ Xerox Machine Operator	SEMI SKILLED- B	ZONE I	3886	9062	12948
		ZONE II	3757	9062	12819
Peon/Attender/ Watchman/ Water Boy/ Helper/ Messenger/ Security Guard	UNSKILLED	ZONE I	3700	9062	12762
		ZONE II	3370	9062	12432

Andhra Pradesh Minimum Wages Revision

The Government of Andhra Pradesh Vide No. G/430/2025, has released Notification regarding revision of minimum wages for various employment w.e.f from 01st Oct 2025. Please refer to the below table for the revised minimum wages and press note appended herewith for more details:

State: Andhra Pradesh				
Effective Date: 01/10/2025				
Category: Commercial Establishment				
Category	Zone	Basic	DA	Minimum Wages
Manager/ Field Officer/ Development Officer/ Office Incharge/ Computer Programmer	I	5557	8710.4	14267.40
Accountant/ Asst. Manager/ Sales Executive/ Supervisor/ Purchaser/ Store Keeper/ Agent/ Sales Promotion Employees	I	4722	8710.4	13432.40
Salesman, Stenographer, Receptionist, Auction Bider, Type Writer Instructor, Electrician, Radio Mechanic, Optical Mechanic, Surfacer, Grinder, Photographer, Photo Artist, Typewriter, Mechanic, T.V., Mechanic, Fitter, Turner, Welder and Plumber, Mason etc.	I	4520	8710.4	13230.40
Clerk/ Typist/Clerk-cum-Typist/ Godown Incharge/Lineman/ Assistant Salesman/ Asst. Accountant/ Xerox Machine Operator	I	4102	8710.4	12812.40
Weighman/ Kolgari/ Computer Operator	I	3886	8710.4	12596.40
Peon/Attender/ Watchman/ Water Boy/ Helper/ Messenger	I	3700	8710.4	12410.40

NOTIFICATIONS/ CIRCULARS/ AMENDMENTS



Circular regarding filing monthly contribution showing large no. of tagged employees with zero days in ESI

The Employees State Insurance Corporation vide File No. P-11/12/Misc./2024-Rev.II, has released Circular regarding filing monthly contribution showing large number of tagged employees with zero days. As per the provision u/s 103-A (1) which provide that a person on becoming an insured person for the first time shall be entitled to medical benefit for a period of 3 months provided that where such a person continues for 3 months or more to be an employee of a factory or establishment to which the Act applies, he shall be entitled to medical benefit till the beginning of the corresponding benefit period. There may be cases where employees have left before three months but shown as tagged employee for one or other reasons. Please refer to the circular appended herewith for more details.

Notification regarding extending the ESI medical benefits to entire area of Soreng, Gyalshing and Mangan Districts in state of Sikkim

The Ministry of Labour and Employment Vide S.O. 4915 (E), has released Notification regarding extending the ESI medical benefits to entire area of Soreng, Gyalshing and Mangan Districts in state of Sikkim w.e.f 01st Nov 2025. Please refer to the notification appended herewith for more details.

Circular on Prominent Display of the extract of Form 5A at the entrance of the establishment or on the website along with mobile application of establishment

The Employees Provident Fund Organization Vide No. Compliance/U/P78/2022/Advocay/55643/13179, has released Circular on Prominent Display of the extract of Form 5A at the entrance of the establishment or on the website along with mobile application of establishment. Please refer to the circular appended herewith for more details.

EPFO Extended date of filing of new ECR up to 22nd October 2025 for the wage month September 2025

The Ministry of Labour & Employment vide Press Release dated 13/10/2025 had extended the due date for filing of new ECR and payment of PF Contribution to 22nd October 2025 for the wage month September 2025. Please refer to the press release for more information.

Notification of the Goa Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025

The Government of Goa Vide 7/29/2025-LA/143, has issued Notification of the Goa Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025. Please refer to the notification appended herewith for more details.

Disclaimer: All information and content contained in this document are provided solely for general information and reference purposes. GI Group India makes no statement, representation, warranty or guarantee as to the accuracy, reliability or timeliness of the information and content contained in this document. Although every possible care and caution has been taken to avoid any mistakes or omissions while editing. Printing, producing online or publishing the judgments, Head Notes, Editorials, Articles, Forms & Precedents, the subscriber or reader should verify the correctness respectively from the full text as in the certified copy of Judgements or Gazettes concerned. Neither GI Group India nor any of its related company accepts any responsibility or liability for any direct or indirect loss or damage (whether in tort, contract or otherwise) which may be suffered or occasioned by any person howsoever arising due to any inaccuracy, omission, misrepresentation or error which may inadvertently crept on despite care and caution in respect of any information and content provided by this document.

Contact Information:

Name- Sushil Shah, Legal and Compliance

Email- marcom.india@gigroup.com, Website: www.gigroup.co.in

Address- World Trade Tower, Tower-B, Unit 503, 5th Floor, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh – 201301

શ્રમ આયુક્તની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય

બ્લોક નં-03, E1, E2, F2 વીંગ,

પહેલો માળ, કર્મચોગી ભવન,

સેક્ટર ૧૦- એ, ગાંધીનગર

Web: www.col.gujarat.gov.in

ક્રમાંક:શ્ર.આ.૬/ટે.૩/૨૦૨૫/ ૧૦૩ વી ૧૨૪

તા: ૩૦/૦૬/૨૦૨૫

પ્રતિ,

(૧) અધિક શ્રમ આયુક્તશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.

(૨) નાયબ શ્રમ આયુક્તશ્રી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ

(તાબાની કચેરીઓને પરિપત્રિત કરવા સારૂ)

(૩) કચેરીની સર્વે શાખાઓ, ૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭,૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨,ખાસ સેલ, બી.ઓ.સી.ડબલ્યુ અને આઈ.ટી.સેલ.

(૪) શાખાની સિલેક્ટ ફાઈલ/ પરિપત્ર ફાઈલ

શ્રમ આયુક્ત,

ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર

લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત.

લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળ સરકારશ્રીએ જે તે વ્યવસાય માટે નિયત કરેલ મૂળ પગારના દર ઉપરાંત જીવન નિર્વાહ આંક ઉપર આધારિત આપવાના ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર હવે તા.૦૧-૧૦-૨૦૨૫ થી તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૬ સુધીના સમય માટે નીચે મુજબ રહેશે.

ક્રમ	અનુસૂચિત વ્યવસાય/વ્યવસાય	ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર (રૂ. પૈસા)
૧	૪૬ અનુસૂચિત વ્યવસાય, શીપ બ્રેકીંગ તથા સ્વીપીંગ અને કલીનીંગ કામની વ્યવસાય (વ્યવસાય)	રૂ.૪૮.૫૦/-
૨	છ અનુસૂચિત વ્યવસાય (૧.ઈંટ ઉત્પાદન, ૨.જરી ઉદ્યોગ, ૩.રેડી મેડ ગારમેન્ટ, ૪.મીઠા ઉદ્યોગ, ૫.તમાકુ અને બીડી બનાવવાનો ઉદ્યોગ તથા ૬.કૃષિ વ્યવસાય)	રૂ.૧૩૪.૦૦/-

આમ, અનુ નં ૧ અને ૨ ની સામે દર્શાવેલ વ્યવસાયોમાં ઉપરોક્ત સમયગાળા દરમ્યાનના ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર જાહેર કરવામાં આવે છે.

નાયબ શ્રમ આયુક્ત

અને લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮

અન્વયેના સક્ષમ અધિકારી, ગાંધીનગર



श्रमायुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश शासन,
इन्दौर

न्यूनतम वेतन
एवं
मंहगाई भत्ते की दरें
दिनांक 01.10.2025 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट
www.labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध है





श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें

दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक प्रभावशील

- 1/ माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP. 10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी, 2025 तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/2024, क्रमांक 11921/2024 एवं क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20 मार्च, 2025 को पारित आदेश के आलोक में म.प्र.शासन, श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 (म.प्र. असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024) द्वारा पुनरीक्षित/ निर्धारित न्यूनतम वेतन दरें, "किसी टेक्सटाईल, मेड-अप्स, वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपैरल व फुट वियर निर्माण में नियोजन" को छोड़कर, शेष समस्त अधिसूचित नियोजनों पर समय-समय पर जारी देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित पुनः प्रभावशील हो जाती है।
- 2/ उक्त के आलोक में निम्नलिखित 03 नवीन नियोजनों के लिए खण्ड-अ की अनुसूची-अ में दर्शाए अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय, न्यूनतम वेतन दरें दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक के लिये निर्धारित की जाती हैं :-
- 1- अनुक्रमांक 36(क) – किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन।
 - 2- अनुक्रमांक 59(क) – किसी वूवन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपैरल निर्माण में नियोजन।
 - 3- अनुक्रमांक 73 – किसी फुट वियर निर्माण में नियोजन।
- 3/ शेष 67 अधिसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन, किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन तथा अगरबत्ती नियोजन के लिए खण्ड-ब में दर्शाए अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन दरें दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक के लिये निर्धारित की जाती हैं।


(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट

www.labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध है

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत श्रमिकों हेतु
दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक प्रभावशील
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील
मंहगाई भत्ते की दरें

खण्ड-अ

तीन नवीन अनुसूचित नियोजनों हेतु (खण्ड-अ - अनुसूची-अ)	पृष्ठ क्र. 3-5
---	----------------

खण्ड-ब

शेष अनुसूचित नियोजन

67 नियोजन (अनुसूची- अ, ब, स)	पृष्ठ क्र. 06-19
प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिक/कर्मचारी हेतु अनुसूची-‘क’	पृष्ठ क्रमांक 20
कृषि नियोजन (अनुसूची-‘द’)	पृष्ठ क्र. 21-23
बीडी नियोजन	पृष्ठ क्र. 24-32
अगरबत्ती नियोजन	पृष्ठ क्र. 33-38
संक्षिप्त एकजाई अधिसूचना	पृष्ठ क्र. 39-42

खण्ड-अ

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1-5/11/अन्वे/पांच/2024/ 24861

इन्दौर, दिनांक 01 / 10 /2025

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं रजनी सिंह., श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, माह जनवरी, 2025 से जून, 2025 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करती हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी, 2025	412.42
फरवरी, 2025	411.26
मार्च, 2025	411.84
अप्रैल, 2025	413.28
मई, 2025	414.72
जून, 2025	417.60
योग/औसत सूचकांक	2481.12 ÷ 6 = 413.52 (414)

तथा इनका औसत 414 घोषित करता हूँ, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670-671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ.4(सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई हैं। जो कि दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

खण्ड-अ

03 नवीन नियोजनों के श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं

पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्र. 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/ 2024/ दिनांक के अनुसार जनवरी से जून, 2025 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 414 रहा है। विगत छः माही का औसत 413 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 413 के उपर $(414-413)= 01$ औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी, 2025 तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/24, क्रमांक 11921/24, क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20 मार्च, 2025 को पारित आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4 (बी)1/2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी, 2025 (म.प्र. राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी, 2025) द्वारा जोड़े गये 03 नवीन नियोजनों के श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये $(25 \times 1) = 25/-$ प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(414-241) = 173$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $(25 \times 173) = 4325/-$ प्रतिमाह या $(4325 \div 26)$ रुपये 166.35 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(414-253) = 161$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि $(25 \times 161) = 4025/-$ प्रतिमाह या $(4025 \div 26)$ रुपये 154.81 प्रतिदिन रुपये दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय है। (अनुसूची-अ (खण्ड-अ) के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, 03 नवीन नियोजनों के लिए अनुसूची-अ (खण्ड-अ) के अनुसार न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित करती हूँ, जो दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय है।

अनुसूची-अ (खण्ड-अ)

माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी, 2025 तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/24, क्रमांक 11921/24, क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20 मार्च, 2025 को पारित आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/ 2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी, 2025 (म.प्र. राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी, 2025) द्वारा जोड़े गये 03 नवीन अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूप्यों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक								दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500	250.00	4000	153.85	10500	403.85	404	अकुशल	6500	250.00	4025	154.81	10525	404.81	405
7057	271.42	4300	165.38	11357	436.80	437	अर्द्धकुशल	7057	271.42	4325	166.35	11382	437.77	438
8435	324.42	4300	165.38	12735	489.80	490	कुशल	8435	324.42	4325	166.35	12760	490.77	491
9735	374.42	4300	165.38	14035	539.80	540	उच्चकुशल	9735	374.42	4325	166.35	14060	540.77	541

स्पष्टीकरण - मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/ 2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। उपर्युक्त अनुसूची में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 26 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

(3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यू वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

टीप - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत 03 नवीन अधिसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-स तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-ब में ही देखें।

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

३/२

खण्ड- ब

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

67 अधिसूचित नियोजनों हेतु न्यूनतम वेतन की दरें

क्रमांक 1-1/11/अन्वे/पांच/2024/ 24862

इन्दौर, दिनांक 01 / 10 / 2025

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं रजनी सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, माह जनवरी, 2025 से जून, 2025 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करती हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी, 2025	412.42
फरवरी, 2025	411.26
मार्च, 2025	411.84
अप्रैल, 2025	413.28
मई, 2025	414.72
जून, 2025	417.60
योग/औसत सूचकांक	2481.12 ÷ 6 = 413.52 (414)

तथा इनका औसत 414 घोषित करती हूँ, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र.असाधारण राजपत्र दिनांक 04 मार्च, 2024 के पृष्ठ क्रमांक 135, 136, 136(1) से 136(32) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ 4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 के अनुसार राज्य के नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (जनवरी-जून, 2019), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो कि दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से लागू है।

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश शासन

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

03 नवीन नियोजनों को छोड़कर, शेष 67 अधिसूचित नियोजनों हेतु

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 04 मार्च, 2024 के पृष्ठ क्र. 135, 136, 136(1) से 136(32) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (जनवरी से जून, 2019) 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है।

उल्लेखनीय है कि सूचकांक 311 (जनवरी से जून, 2019) 2001=100 के आधार पर दिनांक 1.10.2019 से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अकुशल श्रमिक रुपये 1450/- तथा उच्च कुशल, कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिक रुपये 1750/- को दिनांक 1.4.2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों में जोड़कर श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। अतः सूचकांक 311 के ऊपर सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार, 01 अप्रैल अथवा 01 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के साथ देय होगा।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/ 2024/..... दिनांक के अनुसार जनवरी, 2025 से जून, 2025 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 414 रहा है। विगत छः माही का औसत 413 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 413 के ऊपर $(414-413) = 01$ औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये $(25 \times 01) = 25/-$ की वृद्धि हुई है। तदनुसार अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(414-311) = 103$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $(25 \times 103) = 2575/-$ रुपये प्रतिमाह या $(2575 \div 26)$ रुपये 99.04 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय है। (खण्ड-ब अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्र. 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची-"क" के अनुसार निर्धारित करती हूँ, जो दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय है।

अनुसूची-अ (खण्ड-ब)

67 अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूप्यों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये में	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये में
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक								दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9575	368.27	2550	98.08	12125	466.35	466	अकुशल	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
10571	406.57	2550	98.08	13121	504.65	505	अर्द्धकुशल	10571	406.57	2575	99.04	13146	505.61	506
12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571	कुशल	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.89	572
13919	535.35	2550	98.08	16469	633.43	633	उच्चकुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.39	634

स्पष्टीकरण -

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंडअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप : उपर्युक्त अनुसूची में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 26 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) जनवरी, 2019 से जून, 2019 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 311 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) टीप - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-ब में देखें।

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

GE

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है

क्र.	अनुसूचित नियोजन	भाग - एक
1	किसी कपास जिर्नींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन	
2	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन	
3	किसी मार्गों के निर्माण या सन्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन	
4	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन	
5	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन	
6	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन	
7	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन	
8	किसी आरा मिल में नियोजन	
9	किसी तेल मिल में नियोजन	
10	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	
11	किसी मुरा पोहा निर्माणी में नियोजन	
12	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकैंडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन	
13	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पिसने के कार्य में नियोजन	
14	किसी दूकान, वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन	
15	किसी मुद्रणालय में नियोजन	
16	किसी सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन	
17	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन	
18	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन	
19	किसी चूना भट्टे में नियोजन	
20	किसी ईट भट्टे में नियोजन	
21	किसी पॉवरलूम/जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन	
22	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन	
23	किसी कोसा उद्योग में नियोजन	
24	किसी खाण्डसारी उत्पादन में नियोजन	
25	किसी पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्टरी सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सीमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन	
26	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन	
27	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन	
28	किसी कत्था उद्योग में नियोजन	
29	किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन	
30	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन	
31	किसी बोनमिल में नियोजन	
32	किसी टाइल्स, जिसमें मंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन	
33	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा दो(क) में परिभाषित की गई है, चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविधि के अंतर्गत नहीं आती है, में नियोजन	
34	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा विकृति विज्ञान (पैथालॉजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है, में नियोजन	

35	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39	किसी खदान जैसे कंकड, मुरम, लेट्राईट, बोल्टर, ग्रावेल शिगडा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स, अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन
40	किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजेस में नियोजन
41	किसी बेकरी में नियोजन
42	किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टोरेन्ट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमागृहों या थियेटरों में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी आसवानी या किसी अल्कोहलयुक्त
48	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
50	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड (कीटनाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
54	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57	किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजयरी में नियोजन
60	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेंट भी शामिल है) में नियोजन
61	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलांना निर्माण, जिसमें कपडे से निर्मित खिलांना भी सम्मिलित है, में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी अचार, बडी, पापडतथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
68	किसी दवाइयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन
70	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71	किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन
72	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन
	भाग - दो
1	कृषि में नियोजन

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारियों की परिभाषा -
 - (क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।
 - (ख) "अर्द्ध कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो, जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो, इस प्रकार उसका कार्य बंधे-बंधाये रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
 - (ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो ऐसे सरल कार्य करना है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
 - (घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीकशिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से अभिप्रेत ऐसा कार्य है, जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यवहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबद किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह हैं, जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उचित अवधि का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सामान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन की धारा 12(1-ए)।
5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।
6. न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी खण्ड दर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्ड दर इस प्रकार निर्मित की जाए, जो आठ घण्टे दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
8. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी।
9. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।

(रजनी सिंह)

श्रम आयुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

१६

परिशिष्ट - स

म.प्र.शासन, श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी, 2025 (म.प्र.राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी, 2025) द्वारा जोड़े गए 03 नवीन अनुसूचित नियोजन की सूची

क्र.	नवीन अनुसूचित नियोजन	भाग - एक
36(क)	किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन	
59(क)	किसी बूथन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फेब्रिक से बने हुए अपैरल निर्माण में नियोजन।	
73	किसी फुट वियर निर्माण में नियोजन।	

अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की

उदाहरणार्थ सूची :-

अकुशल -

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिश्ती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/प्यून/भृत्य, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वाटरमेन, खल्लासी, व्हीकल अटेण्डेंट, पहरेदार, कुली, डाक रनर, वॉचमेन, बॉटल क्लीनर, वेटर, सर्विस-मेन, गेटकीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टरमेन, वेन्डर, प्रेसमैन, छेडेवाला, सिलाई ओपनिंग, डंपिंग कार्य करने वाला, चरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायसेंसड वेंडर, बालवाडी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर प्याउ पर पानी पिलाने वाला, रोलकटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डालेवाला), गली बेग फिलर, लिटकेरियर, कॉटनशीटस कैरियर, कपास पिकर, जिन फीडर, झाड़ूवाला, बोडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भाप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरी की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोइये के सहायक, हवलदार, कार्डिंग लेफा पैकर, बोरी भराई, छनाई, ढुलाई, वेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वार्डबॉय, सेक्युरिटी गार्ड/सुरक्षाकर्मी, अटेन्डर, अटेन्डेंट, वार्ड सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमेन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), चादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टीढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लॉण्डीमेन, वॉशरमेन, लोडिंग-अनलोडिंग, माला गूथना, पापड बेलने का कार्य, बेलबॉय, वेटर, रूम अटेन्डेंट, धागा कटिंग, चेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई धुलाई वाला, लिफ्टर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्ध कुशल-

टार स्प्रेअर, टार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाईट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहरीर, सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर-वाटर वर्क्स, कोबलर, हाफ प्रेसमेन, बिल मेन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टिंकर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मौल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पैटर्न मेकर, सहायक गीसर, सहायक आईलर, सहायक टायर फीटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वालानिरीक्षक, वालमेन, फायरमेन, लिपिक, पम्प अटेन्डेंट, व्हीलबरो कैरियर, कचेरीमेन, व्हायटनिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्रायवर, टेबलेट मशीन आपरेटर, बोटल फिलर, केप्सूल फीलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, मेट, हेड मजदूर, वायरमेन, एक्सपेलर मेन, मशीन अटेन्डेंट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, रियाइन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोइया, पेटीमेन, सहायक सेल्समेन, मसालची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गूथने वालाया मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमनी पर ईट जमाने वाला, मशीन फोल्डर, स्टीपर फोल्डर, हेडफोल्डर, काटाफोल्डर, गांठवाला, सहायक जांवर, सहायक सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्विस्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक, कताई कर्मचारी, उन कताई कार्य के कतिने, कटरहोजियरी, चीफर, सहायक पैन आपरेटर, सहायक सार्टर, मुंशी, फार्मैसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ई.सी.जी.असिस्टेंट, असिस्टेंट कपाउन्डर, असिस्टेंट नर्स, लिफ्टमेन, सहायक सिक्कुरिटी सुपरवाईजर, कॉपिस्ट, असिस्टेंट हेमरमेन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन अटेन्डेंट, पम्प खलासी, डम्पिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किलन्स शॉप श्रमिक, पंच ऑपरेटर एवं मैक्समूलर, किलन्स श्रमिक, ब्लेजर पैन

मिल, फ्रिक्शन, किलन्स अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बेन्डसा ऑपरेटर, चिपर, मेकेनिककम हेल्पर, बेन्डसा मेकेनिक कम हेल्पर, सहायक शाल्टर, सहायक मशीनमेन, बिक्री सहायक, सूत स्टॉक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमेन, सहायक टेक्निशियन, डार्करूम सहायक, सहायक जिम ट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कौच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग क्लर्क, थ्रेसर, आया, पैकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लूप्स टर्किंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पॉलिश वाला, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लांट ऑपरेटर, सहायक गाईड, केअर टेकर, माडयूलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेयर, जेनीटर, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धकुशल कर्मचारी आदि।

कुशल-

गोताखोर, शोवेल एण्ड क्रेन लाईन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मेसन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई.पास या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंसधारी), केबिनेट मेकर, चार्जमेन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउन्टेन्ट, केशियर, गोडाउनकीपर, फीटर, बॉयलर अटेंडेंट, टर्नर, मोल्डर, जे.सी.बी. ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोडरोलर ड्रायवर, चालक(भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, ड्रिलर, ग्राइन्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्त्री, सुपरवाइजर, खानसामा, कुक, तंदूरची, टी-मास्टर, आर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनाने वालाकर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाडीया अशासकीय, ऑपरेटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री बिजली, वाचनालय संयोजक, सिनियर गाईड, फायरमेन, फिल्टर इंचार्ज ऑपरेटर, मुनीम, वुड पॉलिशर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोरकीपर, ब्लेकस्मिथ, शेपर, वल्कनाइजर, टिकर, फ्रेममेकर, अपहोलस्टर, कारपेंटर, टेलिफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्नमेकर, हैमरमेन, ग्रासर, प्रयोगशाला तकनिशियन/लेबोरेटरी टेक्निशियन, शोवल, बेलसिंकर, प्रयोगशाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लाण्ट अटेंडेंट, मोटरमेन, भट्टीवाला, पेंटर, फोटोकॉपी ऑपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्त्री, सिरामिस्ट, ट्रूलस इंचार्ज, लेथ मशिनिस्ट, कताई इंचार्ज, कम्प्रेसर ऑपरेटर, लॉण्डी अटेंडर, कम्प्यूटर टायपिस्ट, सिक्युरिटीसुपरवाइजर, सीनियर कम्पाउण्डर, सीनियर नर्स, रेकार्डकीपर, ओ.टी.मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी(वार्डन), दर्जी, रोलर मिस्त्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोनक्रशर, चरखा चालक, मास्टर (कारिगर), जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थ्रेसरमेन, पेंटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोरकीपर, मशीन ऑपरेटर, वुडपॉलिशर, ड्रायक्लीन डोजर, स्क्रेपर, डीजलपम्प आपरेटर, सीनियर मेकेनिक, केमिस्ट/ लेबोरेटरी के सहायक, टेकनीशियनके सहायक, लायब्रेरियन (ग्रंथपाल), पाईपमेलरऑपरेटर, पॉलिशर, ट्रूलस इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वेडर्स, पेटस मेकेनिक कम आपरेटर, सवैतनिक सचिव, सेल्समेन, आर्म्ड सिक्युरिटी गाईड, बाउन्सर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, डायटिशियन, मसाजर, केप्टन, बारमेन, स्ट्यूवर्ड, बेकरी कारीगर, ओवर/भट्टी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, तार खिचना, आभूषण जडाई करने वाला, सोपमेकर, प्लाण्ट आपरेटर, टॉयमेकर, स्टिचर, रिसेप्शनिस्ट, माली, डाटा एनलाईजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूथने वाला, चेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, रिवाईन्डर, हेडकुक, सर्वेयर, गाईड, सुपरवाइजर, सार्टर, वाइण्डर, मेकेनाइज्ड हाउस कीपींग, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिवतथा अन्य कुशल कर्मचारी।

उच्च कुशल-

मेडिकल एवं इंजीनियर स्नातक, एम.टेक/एम.एस.सी. डिग्री प्राप्त हाईड्रो इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जियोलॉजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, साफ्टवेयर इंजीनियर, सिनियर साफ्टवेयर इंजीनियर, कन्सल्टेन्ट, सिनियर कन्सल्टेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, साफ्टवेयर डेवलपर, मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव, सेल्स ऑफीसर, सेल्स प्रमोशन ऑफीसर, एरिया मैनेजर, टैरीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, सॉल्यूटिफिक ऑफीसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं)

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची -

उच्च कुशल -

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद।

लिपिकीय श्रेणी "एक"जैसे -

एकाउन्टेंट, केशियर आदि ।

लिपिकीय श्रेणी "दो"जैसे -

बिल मेन, टायपिस्ट, क्लर्क आदि ।

कुशल श्रेणी "एक"जैसे -

फोटोलिथोग्राफर, लिथोआर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, , लिथोऑफसेट कॉपी पेस्टर, , लिथोऑफसेट प्रिन्टर तथा लेथब्लेड प्रिन्टर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिन्टर आदि ।

कुशल श्रेणी "दो"जैसे -

केमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑफटिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप, की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सिनियर रीडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीन"जैसे -

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिन्टर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेंटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवाइन्डरस्ट्रीचर मशीनमेन, कटर, बाईन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "एक"जैसे -

लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निशमेन, वेक्सीनर, वॉक्सीन मशीनमेन, असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिन्टर, असिस्टेंट लिथोआर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोनपोलिशर, असिस्टेंट कॉपी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोट्टा प्रिंटिंग आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "दो"जैसे -

स्ट्रैडिंग फार्मकीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा आपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काउण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर प्रुफ कलर या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लैबर पंचर, रूलिंगफिडर, विमिंगमेन, ड्रायवर, डार्करूप असिस्टेंट, फाउण्ट्री, असिस्टेंट ग्राइडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाईन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि।

अकुशल श्रेणी जैसे -

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइंडिंग बायलर क्लीनर, मजदूर आक्विजलरी, गेलीप्रूफ प्रेसमेन, बायलर अटेंडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंग बाय, रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोट्टा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि।

(रजनी सिंह)
श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

अनुसूची - ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूप्यों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन (रूपये में)		राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन (रूपये में)		राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक							दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
9575	368.27	2550	98.08	12125	466.35	466	मजदूर	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
10131	389.65	2550	98.08	12681	487.73	488	पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	10131	389.65	2575	99.04	12706	488.69	489
12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571	मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.89	572
13653	525.12	2550	98.08	16203	623.20	623	रोलर्स, मिस्त्री पाईन्टर्स	13653	525.12	2575	99.04	16228	624.16	624
13919	535.35	2550	98.08	16469	633.43	633	उच्चकुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.39	634
14444	555.54	2550	98.08	16994	653.62	654	कटर्स	14444	555.54	2575	99.04	17019	654.58	655

स्पष्टीकरण - 1- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणाकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप : उपर्युक्त अनुसूची में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 26 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।

2- श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) जनवरी, 2019 से जून, 2019 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 311 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

3- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनवेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

9/11

अनुसूची - स
किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूप्यों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक							दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
						रूपये	लिपिकीय वर्ग							रूपये
9575	368.27	2550	98.08	12125	466.35	466	अकुशल	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571	श्रेणी एक	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.89	572
10571	406.57	2550	98.08	13121	504.65	505	श्रेणी दो	10571	406.57	2575	99.04	13146	505.61	506
13919	535.35	2550	98.08	16469	633.43	633	उच्च कुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.39	634
							कुशल श्रेणी							
13856	532.93	2550	98.08	16406	631.01	631	श्रेणी एक	13856	532.93	2575	99.04	16431	631.97	632
13473	518.19	2550	98.08	16023	616.27	616	श्रेणी दो	13473	518.19	2575	99.04	16048	617.23	617
12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571	श्रेणी तीन	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.89	572
							अर्द्ध कुशल श्रेणी							
12294	472.85	2550	98.08	14844	570.93	571	श्रेणी एक	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.89	572
10571	406.57	2550	98.08	13121	504.65	505	श्रेणी दो	10571	406.57	2575	99.04	13146	505.61	506

स्पष्टीकरण -

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणकों को राउंडअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर व्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) जनवरी, 2019 से जून, 2019 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 311 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एव 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा। उपर्युक्त अनुसूची में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 26 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं।
- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

अनुसूची - क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूप्यों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये में	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये में	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	
दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक								दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
9575	319.17	2550	85.00	12125	404.17	404	अकुशल	9575	319.17	2575	85.83	12150	405.00	405	
10571	352.37	2550	85.00	13121	437.37	437	अर्द्धकुशल	10571	352.37	2575	85.83	13146	438.20	438	
12294	409.80	2550	85.00	14844	494.80	495	कुशल	12294	409.80	2575	85.83	14869	495.63	496	
13919	463.97	2550	85.00	16469	548.97	549	उच्चकुशल	13919	463.97	2575	85.83	16494	549.80	550	

स्पष्टीकरण -

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) जनवरी, 2019 से जून, 2019 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 311 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए)

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

Re



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1-2/11/अन्वे/पांच/2024/ 24863

इन्दौर, दिनांक 01/10/2025

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं रजनी सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। माह जनवरी, 2025 से जून, 2025 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करती हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जनवरी, 2025	1316
फरवरी, 2025	1309
मार्च, 2025	1306
अप्रैल, 2025	1307
मई, 2025	1289.64
जून, 2025	1299.24
औसत सूचकांक	$7826.88 \div 6 = 1304.48$ (1304)

तथा इनका औसत 1304 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च, 2024 में पृ.क्र.136(40) में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2025 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04.03.2024 (म.प्र. असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.मार्च.2024) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 930 (जनवरी से जून,2019) 1986-87=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

उल्लेखनीय है कि सूचकांक 930 (जनवरी से जून,2019) 1986-87=100 के आधार पर दिनांक 1.10.2019 से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 972/- को दिनांक 1.4.2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दर में जोड़कर श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च,2024 द्वारा न्यूनतम वेतन दर निर्धारित की गई है। अतः सूचकांक 930 के ऊपर हुई सूचकांक में वृद्धि के अनुसार, 01 अप्रैल अथवा 01 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के साथ देय होगा।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्र.2/11/अन्वे./पांच/2024/..... दिनांक / /2025 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी,2025 से जून,2025 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1304 रहा है। विगत छः माही का औसत 1308 रहा था। अखिल भारतीय कृषि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विगत छःमाही के औसत में (1304-1308)= (-4) औसत बिन्दुओं की कमी हुई है। तथापि न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए) के अनुपालन में कृषि नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित देय वेतन (30 दिन के मान से) पूर्व में दिनांक 01.04.2025 से जारी दरें यथावत रखी जा रही हैं, जो कि दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय होगी तक देय होगी। (अनुसूची- द के लिए)।

अनुसूची - द
कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये में	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये में
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2025 तक								दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
7660	255.32	2268	75.60	9928	330.93	331	अकुशल कृषि श्रमिक	7660	255.32	2268	75.60	9928	330.93	331

स्पष्टीकरण - परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :-

- (1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी से जून, 2019 के आधार आंकड़ों के औसत 930 (1986-87=100) के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह रुपये 6/- (छः रुपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।
- (2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- (4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनवेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
- (5) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत हैं।
- (6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विज्ञापन दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इंदौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2024/

10252

इन्दौर, दिनांक 28 /मार्च/2025

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से जात कर, मै रजनी सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विगत जनवरी, 2024 से दिसंबर, 2024 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करती हूँ:-

	माह / वर्ष	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1	जनवरी, 2024	9131.09
2	फरवरी, 2024	9150.81
3	मार्च, 2024	9131.09
4	अप्रैल, 2024	9163.96
5	मई, 2024	9143.58
6	जून, 2024	9295.44
7	जुलाई, 2024	9380.90
8	अगस्त, 2024	9374.32
9	सितम्बर, 2024	9420.34
10	अक्टूबर, 2024	9499.23
11	नवंबर, 2024	9499.23
12	दिसंबर, 2024	9446.64
	योग/ औसत सूचकांक	111636.33 ÷ 12 = 9303.05 (9303)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 9303 घोषित करती हूँ, जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एयरेज कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04.मार्च.2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च 2024 में पृष्ठ क्रमांक 136(36) पर प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीडी श्रमिकों को दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक देय रहेगा।

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

(Handwritten Signature)

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर,2014) एवं श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04.मार्च.2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च 2024 में पृष्ठ क्रमांक 136(36) पर प्रकाशित) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में निर्धारित दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6730 (1960=100) से संबद्ध किया गया है, जो दिनांक 01.04.2024 से देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2024/...../10.252..... दिनांक 28/03/2025 के अनुसार जनवरी,2024 से दिसंबर,2024 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 9303 रहा है, इस तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी से दिसंबर,2018 के आधार आंकड़ों के औसत 6730 (1960=100) के ऊपर (9303-6730 = 2573 पाइन्ट) 2573 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 01 पैसे प्रति बिन्दु, प्रति हजार बीड़ी के मान से रुपये 25.73 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक देय होगा।

अनुसूची - ई

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	106.81	25.73	रुपये 132.54 किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 742.22 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रुपये 742.22 का भुगतान उस सप्ताह में किया जायेगा।

नोट - एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रुपये 132.54 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 11 रुपये 59 पैसे (8.33 प्रतिशत), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 6 रुपये 63 पैसे (5 प्रतिशत), एवं भविष्य निधि बाबत नियोजक का अंशदान 13 रुपये 92 पैसे (10 प्रतिशत) इस प्रकार कुल 164 रुपये 68 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 27.84 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि में श्रमिकों से 13 रुपये 92 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 13 रुपये 92 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 136 रुपये 84 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
2- रिटायर्ड श्रमिक			
अ- बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना			
1- लेबल चिपकाने तथा पुडों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रु. 79.80 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 25.73 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 105.53
2- यदि कट्टे पर दोनो ओर लेबल लगाया जाता है।	रु. 84.60 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 25.73 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 110.33
ब. झिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य			
1. झिल्ली पर लेबल लगाना	रु. 71.75 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 25.73 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 97.48
2. झिल्ली लगाना	रु. 52.66 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 19.30 (03 पैसे प्रति 4000)	रुपये 71.96
3. लेबल लगाना	रु. 19.63 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 6.43 (02 पैसे प्रति 8000)	रुपये 26.06
4. पूडा बनाना या चिपकाना	रु. 20.14 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 6.43 (02 पैसे प्रति 8000)	रुपये 26.57
स. एक हजार कट्टों पर, जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो :-			
1. आडी तथा खडी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु. 298.04 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 102.92 (04 पैसे प्रतिलाख बीड़ी पर)	रुपये 400.96
2. झिल्ली आडी तथा खडी लगाने का कार्य हो	रु. 324.23 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 102.92 (04 पैसे प्रतिलाख बीड़ी पर)	रुपये 427.15
3. झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रु. 324.23 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 102.92 (04 पैसे प्रतिलाख बीड़ी पर)	रुपये 427.15

नोट - बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाले, भट्टी वाला रसोइया, ड्रायवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेन्ट, मनुम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जायेगा -

- 1- कुशल - ड्रायवर/चालक (भारी वाहन), एकउन्टेंट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेड क्लर्क, गोडाउन कीपर ।
- 2-अर्द्धकुशल- बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्टी वाला, रसोइया, ड्रायवर (हल्के वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क आदि।

(रजनी सिंह)
अमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



Effective Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)
Effective from 01.04.2025 to 31.03.2026
V.D.A. revisable annually with effect from 01.04.2025

1.	Basic Wage	106.81
2.	Variable Dearness Allowance	25.73
3.	Leave with Salary (@ 5% of total wages)	06.63
4.	Total Wages	139.17
5.	Bonus (@ 8.33% of total wages)	11.59
6.	P.F. contribution of Employer (@ 10% of total wages)	13.92
7.	Total Wages + Bonus + P.F. contribution = Less Contribution of Employer (-)	164.68
8.	Total Wage + Bonus	150.76
9.	Less P.F. Contribution of Employee (@ 10% of Total Wages(-)	13.92
10.	Net Payable to Beedi Roller	136.84

(Rajani Singh)

**Labour Commissioner,
Madhya Pradesh, Indore**

[Signature]

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1-3(ए)/11/अन्वे/पांच/2024/ 24864

इन्दौर, दिनांक 01 /10 /2025

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 4(2) के अधीन म.प्र.शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन को प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर मैं, रजनी सिंह, श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर विगत जनवरी,2025 से जून,2025 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करती हूँ :-

क्र.	माह / वर्ष	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1	जनवरी,2025	412.42
2	फरवरी, 2025	411.26
3	मार्च, 2025	411.84
4	अप्रैल, 2025	413.28
5	मई, 2025	414.72
6	जून, 2025	417.60
	योग/औसत सूचकांक	2481.12 ÷ 6 = 413.52 (414)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 414 घोषित करता हूँ जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04.मार्च.2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च 2044 में पृष्ठ क्रमांक 136(36) पर प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय रहेगा।

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

म.प्र.शासन, श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर, 2014 एवं श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04.मार्च.2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च 2044 में पृष्ठ क्रमांक 136(36) पर प्रकाशित) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 01.04.2024 से देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3-ए/11/अन्वे/पांच/2024/..... दिनांक / /2025 के अनुसार जनवरी से जून-2025 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 414 रहा है। विगत छः माही का औसत 413 रहा था। अतः इसके कारण विगत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 413 के ऊपर $(414-413) = 01$ पाईन्ट, 01 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये $25 \times 01 = 25$ रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह जनवरी, 2019 से जून, 2019 के आधार आंकड़ों के औसत सूचकांक 311 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $414-311 = 103$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25×103) रुपये 2575/- प्रतिमाह अथवा $(2575 \div 26) =$ रुपये 99.04/- प्रतिदिन है। परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित कुल वेतन प्रतिमाह 10719 रुपये या $10719 \div 26 = 412.27$ रुपये प्रतिदिन दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय होगा।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक निम्नानुसार देय है :-



(आंकड़े रूपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप दैनिक दर रूपये में
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	तम्बाकू तथा तेन्दूपत्ता देने या बीड़ियां प्राप्त करने एवं उसकी छंटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला, रसोइया, वाहन ड्रायवर(चालक) हल्के वाहन, टायपिस्ट, क्लर्क बिलमेन	8144	313.23	2575	99.04	10719	412.27	412
2	ट्रक में माल चढाने या उतारने या बीड़ियां के पूर्णों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भृत्य, चौकीदार	7981	306.96	2575	99.04	10556	406.00	406
3	ड्रायव्हर (चालक) भारी वाहन, एकाउन्टेंट, मुनीम, केशियन, स्टोर कीपर, गोडाउनकीपर, हेडक्लर्क।	8144	313.23	2575	99.04	10719	412.27	412

स्पष्टीकरण

- 1- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/ नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर,2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- 2- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1-ए)

- 3- न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
- 4- परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची-ई के स्तम्भ तीन में लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (माह जनवरी से दिसंबर, 2018) के औसत 6730 (1960=100) पर आधारित है। 6730 सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 01 अप्रैल से की जावेगी और स्तम्भ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी। एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जावेगी।
- 5- निर्धारित मासिक वेतन कैलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- 6- जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता है, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारण्टेड वेज कहा जायेगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- 7- गारण्टी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का, जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा।
- 8- यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारण्टेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारण्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 9- जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीडियां सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है, तो वह गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 10- आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।


 (रजनी सिंह)
 श्रमायुक्त,
 मध्य प्रदेश, इन्दौर


श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1-4/11/अन्वे/पांच/2024/

24865

इन्दौर, दिनांक 01/10/2025

अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं रजनी सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विगत माह जनवरी, 2025 से जून, 2025 तक के माहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करती हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी, 2025	412.42
फरवरी, 2025	411.26
मार्च, 2025	411.84
अप्रैल, 2025	413.28
मई, 2025	414.72
जून, 2025	417.60
योग/औसत सूचकांक	2481.12 ÷ 6 = 413.52 (414)

तथा उक्तानुसार छःमाही का औसत 414 घोषित करता हूँ, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 (मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च, 2024 के पृष्ठ क्रमांक 136(33) पर प्रकाशित) के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय है।

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 (मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च, 2024 के पृष्ठ क्रमांक 136(33) पर प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्ये/पांच/ 2024/ दिनांक / /2025 के अनुसार जनवरी-2025 से जून-2025 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 414 रहा है। विगत छः माही का औसत 413 रहा था। इसके कारण विगत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर $(414-413)=01$ पाईन्ट) 01 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये $25 \times 01 = 25$ रूपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 311 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $414-311= 103$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये $25 \times 103 = 2575$ रूपये प्रतिमाह अथवा $2575 \div 26 = 99$ रूपये 04 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय है तथा इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति एक हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 103 पर $(103 \div 4 = 25.75)$ रूपये 25.75 पैसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक देय होगा।

अनुसूची - एफ

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल न्यूनतम वेतन
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	44.25	रु. 25.75 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 70.00
(ब) सुगंधित (सैंटेड)	45.00	रु. 25.75 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 70.75

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पकेट में भरकर पकेट के दोनो ओर चिट लगाकर पकेट बन्द करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 39.60	रु. 20.60 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 60.20
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 40.68	रु. 20.60 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 61.28
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 40.68	रु. 20.60 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 61.28
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 51.54	रु. 25.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 77.29
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 68.83	रु. 33.99 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 102.82
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 79.93	रु. 41.20 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 121.13
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 81.90	रु. 41.20 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 123.10
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 100.95	रु. 51.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 152.45

सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 40.68	रु. 20.60 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 61.28
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 50.75	रु. 25.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 76.50
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 64.35	रु. 33.99 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 98.34

4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैंकडा रु. 66.20	रु. 33.99 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 100.19
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैंकडा रु. 69.39	रु. 33.99 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 103.38
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैंकडा रु. 81.90	रु. 41.20 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 123.10
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैंकडा रु. 98.75	रु. 51.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 150.25
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैंकडा रु. 103.09	रु. 51.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 154.59

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पक करना निम्न संख्या में अगरबतियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बन्द करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैंकडा रु. 33.13	रु. 17.51 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 50.47
2. 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैंकडा रु. 34.15	रु. 17.51 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 51.66
3. 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैंकडा रु. 40.63	रु. 20.60 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 61.23
4. 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैंकडा रु. 41.74	रु. 20.60 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 62.34
5. 100 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैंकडा रु. 50.75	रु. 25.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 76.50
6. 200 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैंकडा रु. 53.38	रु. 25.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 79.13

(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बन्द करना।

1. 5अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 7.61	रु. 4.12 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 11.73
2. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 9.05	रु. 5.15 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 14.20
3. पुंगली बनाने के कागज (रोलिंग पेपर्स)	प्रति सैकड़ा रु. 50.33	रु. 7.21 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 57.54

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी

दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक

(आंकड़े रूपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउन्डअप रूपये में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	पुडा बनाने वाला, मसाला भरने वाला, भृत्य चौकीदार.	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
2	टाइपिस्ट, क्लर्क, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला.	10571	406.58	2575	99.04	13146	505.62	506
3	एकाउन्टेन्ट, केशियर, गोडाउन कीपर, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी बनाने वाला.	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572

नोट - अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे, पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउन्टेन्ट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन कुशल, अर्द्धकुशल, एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण -

1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणाकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9-7-2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
 2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (वी.डी.ए.) जनवरी, 2019 से जून, 2019 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 311 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिन्दु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 25.00 प्रति बिन्दु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छःमाही जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून, जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किया जावेगा।
- अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

~~(रजनी सिंह)~~
अभ्यायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/2024/ 24866-25/05 इन्दौर, दिनांक 01/10/2025

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दि. 01.10.25 से 31.03.2026 तक पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।
संदर्भ - इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 10255 दिनांक 28.03.2025 के अनुक्रम में दिनांक 1.10.2025 से 31.03.2026 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन दरें।

-0-

मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च, 2024 के पृष्ठ क्रमांक 135, 136 एवं 136(1) से 136(41) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16 के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (जनवरी से जून, 2019) 2001= 100 को आधार मानकर संबद्ध की गई हैं, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से लागू हैं।

उल्लेखनीय है कि सूचकांक 311 (जनवरी से जून, 2019) 2001=100 के आधार पर दिनांक 1.10.2019 से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अकुशल श्रमिक रुपये 1450/- तथा उच्च कुशल, कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिक रुपये 1750/- को पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों में जोड़कर श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा न्यूनतम वेतन दरें पुनरीक्षित की गई हैं। अतः सूचकांक 311 के ऊपर सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार, 01 अप्रैल अथवा 01 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के साथ देय होगा।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई हैं। माह जनवरी से जून, 2025 की छः माहों का औसत सूचकांक 414 रहा है, अतः इसके कारण गत छः माहों में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (413) के ऊपर (414-413) = 01 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची - अ (खण्ड - ब)

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।
(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
अर्द्धकुशल	10571	406.58	2575	99.04	13146	505.62	506
कुशल	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.89	572
उच्चकुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.39	634

अनुसूची -ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से)

(आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	10131	389.65	2575	99.04	12706	488.69	489
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
रोलर्स, मिस्त्री पाईन्टर्स	13653	525.12	2575	99.04	16228	624.15	624
उच्चकुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.38	634
कटर्स	14444	555.54	2575	99.04	17019	654.58	655

अनुसूची -स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकीय वर्ग							
अकुशल	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
श्रेणी एक	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
श्रेणी दो	10571	406.58	2575	99.04	13146	505.62	506
उच्च कुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.38	634
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	13856	532.92	2575	99.04	16431	631.96	632
श्रेणी दो	13473	518.19	2575	99.04	16048	617.23	617
श्रेणी तीन	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
अर्द्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
श्रेणी दो	10571	406.58	2575	99.04	13146	505.62	506

अनुसूची -द (कृषि नियोजन)

जनवरी से जून, 2025 छः माही का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1304 है, इसके पूर्व की छः माही का औसत 1308 था, जिसके कारण 04 औसत बिन्दु की कमी हुई है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) के अनुपालन में कृषि नियोजन में पूर्व में दिनांक 01.04.2025 से जारी दरें यथावत रखी जा रही हैं, तदनुसार कृषि नियोजन में दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक मंहगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :-

(30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	7660	255.33	2268	75.60	9928	330.93	331

अनुसूची -क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	319.17	2575	85.83	12150	405.00	405
अर्द्धकुशल	10571	352.37	2575	85.83	13146	438.20	438
कुशल	12294	409.80	2575	85.83	14869	495.63	496
उच्चकुशल	13919	463.97	2575	85.83	16494	549.80	550

बीड़ी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6730 (1960=100) के औसत के उपर 2573 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें दिनांक 01.04.2025 से 31.3.2026 तक निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - ई (बीड़ी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	106.81	25.73	132.54

नोट - एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रुपये 132.54 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 11 रुपये 59 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एयज में नगद भुगतान 6 रुपये 63 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 13 रुपये 92 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 164 रुपये 68 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 27.84 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि में श्रमिकों से 13 रुपये 92 पैसे एवं नियोजकों से भविष्य निधि कटौती की राशि 13 रुपये 92 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 136 रुपये 84 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के विगत छःमाही के औसत सूचकांक 413 के उपर माह जनवरी से जून, 2025 के औसत सूचकांक में 01 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची -एफ (अगरबत्ती नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण दर	44.25	रु. 25.75	रुपये 70.00
(ब) सुगंधित (सैंटेड)	45.00	रु. 25.75	रुपये 70.75



(खण्ड-अ - अनुसूची-अ)

माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी, 2025 को पारित आदेश के आलोक में 03 नवीन अनुसूचित नियोजन (परिशिष्ट-स) में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्डअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	4025	154.81	10525	404.81	405
अर्द्धकुशल	7057	271.42	4325	166.35	11382	437.77	438
कुशल	8435	324.42	4325	166.35	12760	490.77	491
उच्चकुशल	9735	374.42	4325	166.35	14060	540.77	541

स्पष्टीकरण -

- 1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनु रूप प्रतिदिन रुपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें निर्धारित की जाए।
- 2- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगरे उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।


 (रजनी सिंह)
 श्रमायुक्त,
 मध्य प्रदेश, इन्दौर


क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/24861-25105 इन्दौर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2025
प्रतिलिपि

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- 2- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514, दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल।
- 4- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जन संसाधन विभाग, भोपाल ।
- 6- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 7- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कृषक कल्याण विभाग, भोपाल।
- 8- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
- 9- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल ।
- 10- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल।
- 11- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल ।
- 12- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
- 13- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
- 14- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
- 15- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
- 16- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर।
- 17- महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 18- उप नियंत्रक, शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर, म.प्र.
- 19- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
- 20- राहत आयुक्त, बल्लभ भवन, भोपाल।
- 21- उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 22- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल
- 23- संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
- 24- समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
- 25- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।

26- उप श्रम आयुक्त, इन्दौर/ भोपाल।

27- सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद(नर्मदापुरम), सागर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, शहडोल एवं

28- श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक,

इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया की ओर भेजकर लेख है कि उपतानुसार विभिन्न नियोजनों में निर्धारित न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिए पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।

29- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. इन्दौर।

30- संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, भोपाल।

31- उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, हायजिन लेब इंदौर, खण्डवा, देवास, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, बीना(सागर) ।

32- सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।

33- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।

34- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।

35- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।

36- लेबर ब्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

37- प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा/ वेतन शाखा/ लेखा शाखा/ अन्य समस्त शाखाओं की ओर सूचनार्थ।

38- आई.टी. शाखा, मुख्यालय, इन्दौर की ओर विभागीय वेबसाईट/पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

39- समस्त श्रम संगठन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

40- समस्त उद्योग एवं व्यवसाय संगठन मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
६५

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP. 10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी, 2025 तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/2024, क्रमांक 11921/2024, क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20 मार्च, 2025 को पारित आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 (म.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024) द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दरें एवं इन दरों के साथ दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय कुल न्यूनतम वेतन दरें विभिन्न अनुसूचित नियोजनों हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च, 2024 के पृष्ठ क्रमांक 135 एवं 136(1) से 136(41) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो दिनांक 01.04.2024 से देय है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक 01.10.2025 से रुपये 25.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की जाती है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) पर आधारित कर संबद्ध की गई है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जनवरी, 2025 से जून, 2025 तक की छःमाही में कुल सूचकांक का औसत 414 रहा है। इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 413 के ऊपर 01 औसत बिन्दु वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में रुपये 25.00 प्रतिबिन्दु की दर से $25 \times 01 = 25.00$ रुपये (पच्चीस रुपये) प्रतिमाह की वृद्धि घोषित की गई है। इस प्रकार दिनांक 01.10.2025 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुल रुपये 2575/- प्रतिमाह अथवा रुपये 99.04 प्रतिदिन देय है।

अतः श्रमायुक्त द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 12150/- या प्रतिदिन रुपये 467/-, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 13146/- या प्रतिदिन रुपये 506/-, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 14869/- या प्रतिदिन रुपये 572/- तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 16494/- या प्रतिदिन रुपये 634/- देय होगा।

कृषि नियोजन में गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (1304-1308) = -4 औसत बिन्दुओं की कमी हुई है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) अनुसार कृषि श्रमिकों को वर्तमान में प्राप्त हो रहे मंहगाई भत्ते को यथावत रखा गया है। जिसके आधार पर अकुशल कृषि श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 9928/- या प्रतिदिन रुपये 331/- मजदूरी मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक के लिए देय होगी।

एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित रूपये 132.54 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे रूपये 11.59 पैसे (8%), अर्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान रूपये 06.63 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान रूपये 13.92 पैसे (10%), इस प्रकार कुल रूपये 164.68 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रूपये 27.84 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि में श्रमिकों से रूपये 13.92 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि रूपये 13.92 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि रूपये 136.84 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन में गत छःमाही का औसत 414 रहा है। जो इसके पूर्व की छःमाही के औसत 413 से ज्यादा है, इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (414-311) 103 औसत बिन्दुओं एवं अगरबत्ती नियोजन में भी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (414-413) औसत 01 बिन्दु की वृद्धि होने के कारण दिनांक 01.10.2025 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिए रूपये 70.00 पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिए रूपये 70.75 पैसे प्रति हजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।

स्पष्टीकरण -

- (1) माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी, 2025 को तथा अन्य याचिकाओं क्रमांक 9401/2024, क्रमांक 11921/2024 एवं क्रमांक 12606/2024 में दिनांक 20 मार्च, 2025 पारित आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी, 2025 (म.प्र. राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी, 2025) द्वारा जोड़े गये 03 नवीन अनुसूचित नियोजनों में दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सहित देय मासिक एवं दैनिक दरें विभागीय पोर्टल www.labour.mponline.gov.in पर प्रदर्शित अधिसूचना के खण्ड-अ की अनुसूची-अ में दर्शाए अनुसार देय होगी।
- (2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20-सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

कार्यालय श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2024/ 25/06-08
प्रतिलिपि -

इन्दौर, दिनांक 01/10/2025

- 1- संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 2- अपर संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित।

(रजनी सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/2024/ 24866-25105 इन्दौर, दिनांक 01/10/2025

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दि. 01.10.25 से 31.03.2026 तक पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।
संदर्भ - इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 10255 दिनांक 28.03.2025 के अनुक्रम में दिनांक 1.10.2025 से 31.03.2026 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय न्यूनतम वेतन दरें।

-0-

मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च, 2024 के पृष्ठ क्रमांक 135, 136 एवं 136(1) से 136(41) पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16 के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (जनवरी से जून, 2019) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई हैं, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से लागू है।

उल्लेखनीय है कि सूचकांक 311 (जनवरी से जून, 2019) 2001=100 के आधार पर दिनांक 1.10.2019 से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अकुशल श्रमिक रूपये 1450/- तथा उच्च कुशल, कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिक रूपये 1750/- को पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों में जोड़कर श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा न्यूनतम वेतन दरें पुनरीक्षित की गई हैं। अतः सूचकांक 311 के ऊपर सूचकांक में हुई वृद्धि के अनुसार, 01 अप्रैल अथवा 01 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों के साथ देय होगा।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई हैं। माह जनवरी से जून, 2025 की छः माही का औसत सूचकांक 414 रहा है, अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (413) के ऊपर (414-413) = 01 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची - अ (खण्ड - ब)

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।
(26 दिन के मान से) (आंकड़े रूपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रूपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
अर्द्धकुशल	10571	406.58	2575	99.04	13146	505.62	506
कुशल	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.89	572
उच्चकुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.39	634

अनुसूची -ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से)
(आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	10131	389.65	2575	99.04	12706	488.69	489
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
रोलर्स, मिस्त्री पाईन्टर्स	13653	525.12	2575	99.04	16228	624.15	624
उच्चकुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.38	634
कटर्स	14444	555.54	2575	99.04	17019	654.58	655

अनुसूची -स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।
(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकीय वर्ग							
अकुशल	9575	368.27	2575	99.04	12150	467.31	467
श्रेणी एक	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
श्रेणी दो	10571	406.58	2575	99.04	13146	505.62	506
उच्च कुशल	13919	535.35	2575	99.04	16494	634.38	634
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	13856	532.92	2575	99.04	16431	631.96	632
श्रेणी दो	13473	518.19	2575	99.04	16048	617.23	617
श्रेणी तीन	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
अर्द्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	12294	472.85	2575	99.04	14869	571.88	572
श्रेणी दो	10571	406.58	2575	99.04	13146	505.62	506

अनुसूची -द (कृषि नियोजन)

जनवरी से जून, 2025 छः माही का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1304 है, इसके पूर्व की छः माही का औसत 1308 था, जिसके कारण 04 औसत बिन्दु की कमी हुई है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) के अनुपालन में कृषि नियोजन में पूर्व में दिनांक 01.04.2025 से जारी दरें यथावत रखी जा रही हैं, तदनुसार कृषि नियोजन में दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक मंहगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :-

(30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	7660	255.33	2268	75.60	9928	330.93	331

अनुसूची -क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	9575	319.17	2575	85.83	12150	405.00	405
अर्द्धकुशल	10571	352.37	2575	85.83	13146	438.20	438
कुशल	12294	409.80	2575	85.83	14869	495.63	496
उच्चकुशल	13919	463.97	2575	85.83	16494	549.80	550

बीडी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6730 (1960=100) के औसत के ऊपर 2573 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें दिनांक 01.04.2025 से 31.3.2026 तक निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - ई (बीडी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	106.81	25.73	132.54

नोट - एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रुपये 132.54 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 11 रुपये 59 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 6 रुपये 63 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 13 रुपये 92 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 164 रुपये 68 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 27.84 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि में श्रमिकों से 13 रुपये 92 पैसे एवं नियोजकों से भविष्य निधि कटौती की राशि 13 रुपये 92 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 136 रुपये 84 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के विगत छःमाही के औसत सूचकांक 413 के उपर माह जनवरी से जून, 2025 के औसत सूचकांक में 01 औसत बिन्दु की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची -एफ (अगरबत्ती नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण दर	44.25	रु. 25.75	रुपये 70.00
(ब) सुगंधित (सैंटेड)	45.00	रु. 25.75	रुपये 70.75

(खण्ड-अ - अनुसूची-अ)

माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक WP.10772/2024 में दिनांक 10 फरवरी, 2025 को पारित आदेश के आलोक में 03 नवीन अनुसूचित नियोजन (परिशिष्ट-स) में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक, जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर रुपये प्रतिदिन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	4025	154.81	10525	404.81	405
अर्द्धकुशल	7057	271.42	4325	166.35	11382	437.77	438
कुशल	8435	324.42	4325	166.35	12760	490.77	491
उच्चकुशल	9735	374.42	4325	166.35	14060	540.77	541

स्पष्टीकरण -

- 1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउंडअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनु रूप प्रतिदिन रुपये में राउंडअप कर दैनिक दरें निर्धारित की जाए।
- 2- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगरे उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

(रजनी सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर



श्रम विभाग, हरियाणा

30 बेल बिल्डिंग, सैक्टर-17सी, चण्डीगढ़, चुरभागा-0172-2701373
Email-labourcommissionerhry@nic.in and hrylabour@gmail.com



प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन0सी0आर0), गुरुग्राम।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
3. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत।

क्रमांक: आई0आर0-2/2025/ 28373-498 दिनांक:- 30/1/25

विषय:- हरियाणा राज्य में दिनांक 01-07-2025 से न्यूनतम वेतन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हुई बढ़ोतरी बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 21-10-2015 में वर्णित भिन्न-भिन्न रोजगारों में दिनांक 01-07-2025 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं। यह निर्धारण कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास अर्थात् वर्ष में दो बार जनवरी व जुलाई माह में हरियाणा कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती है। इस अनुसार दिसम्बर, 2024 के अन्त तक औसत कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3438.5 अंक था, जो कि अगले छः मास अर्थात् जून, 2025 तक बढ़कर 3448.3 अंक हो गया है। इस आधार पर कुल कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 7.8 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। दिनांक 21.10.2015 को जारी और 01 नवम्बर, 2015 से लागू अधिसूचना के अनुसार यथाअनुपात आधार पर सी0पी0आई0 संख्या में वृद्धि या गिरावट का 100 प्रतिशत न्यूट्रलाइजेशन है।

तदानुसार, न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों और अधिसूचित रोजगारों में (अधिसूचना दिनांक 21.10.2015) के अनुसार में कार्यरत श्रमिकों के मूल वेतन में 0.23 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गई है। इस प्रकार अब दिनांक 01.07.2025 से हरियाणा राज्य में न्यूनतम वेतन दरें अगले पृष्ठ से निम्न अनुसार देय बनती हैं:-

लगातार.....

V/S
30/1/25

क्रम संख्या	श्रेणी	पद/योग्यता	मूल वेतन (अधिसूचना दिनांक 21.10.2015 के अनुसार) (रु०)	दिनांक 01.01.2025 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क)	मंहगाई भत्ता 01.07.2025 से लागू (रु०) (ख)	दिनांक 01.07.2025 से लागू न्यूनतम वेतन (रु०) (क+ख)	दैनिक वेतन (रु०)
1.	अकुशल		7600.00	11257.12	17.48	11274.60	433.64
2.	अर्धकुशल (ए) (बी)		7980.00	11819.94	18.35	11838.29	455.32
			8379.00	12410.91	19.27	12430.18	478.08
3.	कुशल (ए) (बी)		8797.95	13031.47	20.24	13051.71	501.99
			9237.85	13683.06	21.25	13704.31	527.09
4.	उच्च कुशल		9699.74	14367.21	22.31	14389.52	553.44
5.	लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ	(i) मैट्रिक से कम	7980.00	11819.94	18.35	11838.29	455.32
		(ii) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं	8379.00	12410.91	19.27	12430.18	478.08
		(iii) स्नातक या ऊपर	8797.95	13031.47	20.24	13051.71	501.99
		(iv) स्टेनो टाईपिस्ट	8379.00	12410.91	19.27	12430.18	478.08
		(v) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	8797.95	13031.47	20.24	13051.71	501.99
		(vi) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	9237.85	13683.06	21.25	13704.31	527.09
		(vii) निजी सहायक	9699.74	14367.21	22.31	14389.52	553.44
		(viii) निजी सचिव	10184.73	15085.57	23.42	15108.99	581.12
6.	डाटा एन्ट्री आपरेटर		8797.95	13031.47	20.24	13051.71	501.99
7.	चालक	हल्का वाहन	9237.85	13683.06	21.25	13704.31	527.09
		भारी वाहन	9699.74	14367.21	22.31	14389.52	553.44
8.	सुरक्षाकर्मी	बिना शस्त्र	7980.00	11819.94	18.35	11838.29	455.32
		शस्त्र सहित	9237.85	13683.06	21.25	13704.31	527.09
9.	सुरक्षा निरीक्षक/ सुरक्षा अधिकारी/ सुरक्षा सुपरवाइजर	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2019, जो कि Civil Appeal No. 2539 of 2010 titled as 'Hindustan Sanitaryware and Industries Limited and others versus State of Haryana and Civil Appeal No. 4454 of 2019 titled as 'Faridabad Industries Association Versus State of Haryana and another' के निर्णय अनुसार इस श्रेणी के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने वाली अधिसूचना से निकाल दिया गया है।					
10.	सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार, जो कि CWP No. 25328 of 2015 titled as 'Gurugram Industrial Association and an3 other Versus State of Haryana' के द्वारा इस श्रेणी के कर्मचारियों को अनुसूचित नियोजनों की सूची में होना अनुचित ठहराया है। अतः इस श्रेणी की न्यूनतम आय अधिसूचित नहीं की जा रही है। परन्तु विभिन्न नियोजनों में कार्यरत सफाई कर्मचारी दिनांक 21.10.2015 की अधिसूचना जारी होने से पहले की भांति न्यूनतम वेतन पाने की हकदार रहेंगे।					

नोट:- क्रम संख्या 10 के कर्मचारियों से पूर्व में दिये गये वेतन से कोई वसूली नहीं की जायेगी।


लगातार.....

Vh
30/10/25

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.07.2025 से ईट भट्टा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के मूल वेतन में 0.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अब दिनांक 01.07.2025 से हरियाणा राज्य में ईट भट्टा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के दरें निम्न प्रकार से देय बनती हैं:-

क्र० सं०	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1.	पथेरा	642.37 रुपये	721.67 रुपये
2.	भराई वाला(भट्टों में ईटों की भराई)	(क) 289.03 रुपये प्रति हजार ईट भट्टों में भरना परन्तु खेत से भट्टों तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 25.63 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर ही लागू होंगी। (ख) एक हजार मीटर दूरी तक 237.61 रुपये टैम्पू या पशु चलित रेहड़ी या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईटें भट्टों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 25.63 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।	
3.	कैरीवाला	51.33 रुपये प्रति एक हजार ईट	
4.	निकासी वाला	211.94 रुपये प्रति एक हजार ईट	
5.	चुनाई वाला	13051.71 रुपये प्रति मास	
6.	मिस्त्री/कोलमैन/जलाई वाला	13051.71 रुपये प्रति मास	

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप हरियाणा में स्थित औद्योगिक एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को व सभी पंजीकृत श्रम संघों के पदाधिकारियों को प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।



कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2025/ 28499-505

दिनांक: 30/1/25

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-


1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, श्रम व रोजगार मंत्री को माननीय श्रम व रोजगार मंत्री महोदय हरियाणा के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, प्रधान सचिव, श्रम विभाग को प्रधान सचिव (श्रम) हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के सूचनार्थ।
5. निजी सचिव श्रम आयुक्त को श्रम आयुक्त, हरियाणा के सूचनार्थ।
6. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक गतिविधियों विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ।


कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2025/ 28506-660 दिनांक: 30/10/25

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिव महोदय को।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सार्वजनिक व प्राइवेट विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों व रजिस्ट्रार महोदय को।
3. हरियाणा राज्य के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को।
4. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम व सार्वजनिक उद्यमों के प्रबन्ध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों को।
5. अतिरिक्त मुख्य कारखाना निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा।
6. हरियाणा राज्य के सभी संयुक्त निदेशक, उप निदेशकों व सहायक निदेशकों, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वास्थ्य।
7. हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के उप श्रम आयुक्तों, कल्याण अधिकारियों व कल्याण निरीक्षकों को।



कृते- श्रम आयुक्त, हरियाणा

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2025/ 28661-62

दिनांक: 30/10/25

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य में स्थित औद्योगिक एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को।
2. हरियाणा राज्य में स्थित सभी पंजीकृत श्रम संघों के पदाधिकारियों को।



कृते- श्रम आयुक्त, हरियाणा

पृष्ठांकन क्रमांक: आई0आर0-2/2024/ 28663

दिनांक: 30/10/25

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. आई0टी0 सैल, श्रम विभाग को इस अनुरोध के साथ, कि वे इसे श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल hry.labour.gov.in पर अपलोड करें।


कृते- श्रम आयुक्त, हरियाणा


PRESS NOTE

The Commissioner of Labour, Telangana, Hyderabad & the Competent Authority under the Minimum Wages Act, 1948, has declared the average State Industrial Workers Consumer Price Index Numbers for the half year ending June, 2025 as follows:-

Part-I (Industrial Workers) : Increase of 02 points from 1939 to 1941

Part-II (Agricultural Workers): Increase of 00 points from 1492 to 1492 (No Change)

These are applicable for the period from 01.10.2025 to 31.03.2026 in various Scheduled Employments notified under the Minimum Wages Act, 1948, in the State of Telangana for the purpose of calculation of Variable Dearness Allowance.



Deputy Commissioner of Labour



ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము
THE ANDHRA PRADESH GAZETTE
PUBLISHED BY AUTHORITY

PART II EXTRAORDINARY

No.656

AMARAVATI, FRIDAY, OCTOBER 31, 2025

G.710

NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS, Etc.
COMMISSIONER OF LABOUR : A.P. : VIJAYAWADA

No.G/430/2025.

Dated : 29-10-2025.

MINIMUM WAGES ACT, 1948 - COST OF LIVING INDEX NUMBERS APPLICABLE TO THE EMPLOYEES EMPLOYED IN THE SCHEDULED EMPLOYMENTS AS ON 01-10-2025 - COST OF LIVING ALLOWANCE PAYABLE.

- Ref: 1.G.O.Ms.No.37, Women's Development, Child Welfare and Labour (Lab.II) Department, dated 15-03-1989.
2.Proceedings No. G/430/2025 of the Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Vijayawada, dated: 07-04-2025.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under clause (d) of section 2 and sub-section (2) of Section 4 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act 11 of 1948), I, the Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Vijayawada, and the Competent Authority under Minimum Wages Act, 1948, hereby declare the Consumer Price Index numbers for State Industrial Workers as well as State Agricultural Workers for half year ending June, 2025, as on 01-10-2025, is as follows in respect of the employments specified under Part-I and Part-II in the Schedule.

The Consumer Price Index numbers so notified in the Extra-ordinary Gazette came into force w.e.f. 01-10-2025.

**Schedule appended to the proceedings No. G/430/2025, Dated:29-10-2025 of the
Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Vijayawada**

**SCHEDULE
PART-I**

Sl. No	Name of the Schedule Employment (G.O.Ms.No and date.)	Publication in A.P. Gazette Extraordinary Part-I		C.P.I. Points for Industrial Workers linked in the existing notification (1982=100 series)	C.P.I. Numbers as on 01-10-2025
		No.	Date		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Any Oil Mills (39, LET & F (Lab-II) Dept., 29.6.2011)	332	04.07.2011	835	1886
2	Automobile Engineering Workshops including servicing and Repairs (39, LET & F (Lab-II) Dept., 31-03-2009)	25	22-01-2010	525	1886
3	Any Manufacturing Process carried out in Any Factory as defined to Section 2(m) or Section 85 of the Factories Act other than those notified under Part-I or Part-II of the Schedule of Minimum Wages Act, 1948 (4, LET & F (Lab-II) Dept., 07-01-2012)	281	17.05.2012	847	1886
4	Additional categories in Handloom Weaving Establishments (56, LET & F (Lab-II) Dept., 22-06-2007).	386	04-07-2007	488	1886
5	Baking Process including Biscuit Manufactory (87, LET & F (Lab-II) Dept., 28-09-2007)	619	26-10-2007	525	1886
6	Brick Kiln Industry (84, LET & F (Lab-II) Dept., 22-11-2006)	734	11-12-2006	502	1886
7	Cashew Processing Establishments (49, LET & F (Lab-II) Dept., 24-06-2008)	375	02-07-2008	525	1886
8	Cement Concrete Pipes and Cement Ware Manufactory excluding Stone ware Pipes Manufactory (84, LET & F (Lab-II) Dept., 22-09-2007)	584	06-10-2007	502	1886
9	Chemicals and Pharmaceuticals (117, LET & F (Lab-II) Dept., 7-12-2007)	705	19-12-2007	525	1886
10	Cinema Industry (17, LET & F (Lab-II) Dept., 19-02-2009)	105	19-02-2009	537	1886

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Clubs and Canteens (86, LET & F (Lab-II) Dept., 06-12-2006)	759	20-12-2006	502	1886
12	Coffee Plantations (109, LET & F (Lab-II) Dept., 1-11-2007)	653	15-11-2007	508	1886
13	Colour Printing and yarn Dyeing (67, LET & F (Lab.II) Dept., 13-08-2008)	500	28-08-2008	525	1886
14	Construction of Projects including Dams and Multi Purpose Projects (107, LET & F (Lab.II) Dept., 1-11-2007)	652	15-11-2007	508	1886
15	Construction or maintenance of Roads and Building Operations (85, LET & F (Lab.II) Dept., 22-09-2007)	568	01-10-2007	525	1886
16	Cotton Ginning and Pressing Factories (50, LET & F (Lab-II) Dept., 22-06-2010)	302	24-06-2010	572	1886
17	Cotton Carpet Weaving Establishments (66, LET & F (Lab-II) Dept., 29-07-2009)	376	03-08-2009	537	1886
18	Distilleries and Breweries (86, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	584	06-10-2007	525	1886
19	Domestic Workers (60, LET & F (Lab-II) Dept., 01-11-2011)	44	18.01.2012	835	1886
20	Electronic Industry (99, LET & F (Lab.II) Dept., 11-10-2007)	625	27-10-2007	525	1886
21	Fisheries and Sea Foods (93, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	617	26-10-2007	525	1886
22	Foot Wear and Leather Industry (27, LFB&IMS (Lab.II) Dept., 17-08-2022)	860	24-08-2022	1479	1886
23	Garment and Allied Manufacturing Industry (62, LET & F (Lab-II) Dept., 19-11-2011)	44	18.01.2012	835	1886
24	Glass Industry (91, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	620	26-10-2007	525	1886
25	Gold Covering and Gold Coating Industry (108, LET & F (Lab.II) Dept., 1-11-2007)	653	15-11-2007	525	1886
26	Handloom (Silk) Weaving Estts. (88, LET & F (Lab.II) Dept., 04-10-2008)	653	18-11-2008	488	1886
27	Handloom Weaving Establishments (34, LET & F (Lab.II) Dept., 16-03-2009)	204	21-04-2009	488	1886
28	Hospitals, Nursing Homes, Clinics And Dispensaries (68, LET & F (Lab.II) Dept., 8.12.2011)	171	19.03.2012	847	1886

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Hostels of All Colleges and all other Educational Institutions (71, LET & F (Lab-II) Dept., 15-12-2011)	282	17.05.2012	835	1886
30	Hotels and Restaurants and Eating Houses (105, LET & F (Lab-II) Dept., 01-11-2007)	652	15-11-2007	508	1886
31	Jute and Coir Industry (74, LET&F(Lab-II) Dept., 21.12.2011)	359	02.07.2012	835	1886
32	Khandasari Factories (48, LET & F (Lab-II) Dept., 24-06-2008)	374	02-07-2008	525	1886
33	Lime Stone Kilns (8, LET & F (Lab-II) Dept., 07-02-2006)	87	16-02-2006	487	1886
34	Marketing Societies Consumer Co-Operative societies&Co-Operative Banks (121, LET & F (Lab-II) Dept., 18.12.2007)	728	28-12-2007	525	1886
35	Match and Fire Works (68, LET & F (Lab-II) Dept., 21-07-2007)	466	03-08-2007	502	1886
36	Mesta used Twine Mills (79, LET & F (Lab-II) Dept., 18-10-2006).	580	23-10-2006	502	1886
37	Metal Foundries and General Engineering (88, LET & F (Lab-II) Dept., 28-09-2007)	621	26-10-2007	525	1886
38	Mica Works (35, LET & F (Lab-II) Dept., 28-05-2008)	327	05-06-2008	525	1886
39	Mini and Tiny Cement Factories (118, LET & F (Lab-II) Dept., 7-12-2007)	705	19-12-2007	525	1886
40	Motion Picture Industry Including Production, distribution & Publicity (98, LET & F (Lab-II) Dept., 11-10-2007)	625	27-10-2007	502	1886
41	Non-Teaching Staff working in Private Educational Institutions including Tutorial Institutions and Computer Coaching Centres (73,LET& (Lab-II) Dept., dt.21.12.2011)	383	09.07.2012	847	1886
42	Paper and paper Boards including Straw Board including handmade paper manufactory (69, LET & F (Lab-II) Dept., 08-12-2011)	82	02.02.2012	835	1886
43	Petrol Bunks (89, LET & F (Lab-II) Dept., 28-09-2007)	621	26-10-2007	525	1886
44	Powerloom Industry (53, LET & F (Lab-II) Dept., 03-07-2009)	375	03-08-2009	525	1886
45	Printing Press including Litho and Offset Printing (51, LET & F (Lab-II) Dept., 27-06-2008)	375	02-07-2008	525	1886

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46	Private Motor Transport (90, LET & F (Lab-II) Dept., 28.09.2007)	618	26-10-2007	525	1886
47	Professional such as Chartered, Cost Accounts Auditors including Tax consultants and Clerk working with Advocates (54,LET& F(Lab-II) Dept., 03-07-2009)	375	03-08-2009	572	1886
48	Public Motor Transport (83, LET & F (Lab-II) Dept., 22-11-2006)	723	04-12-2006	502	1886
49	Rice Mills Flour Mills or Dall Mills including Roller Floor Mills (82, LET & F (Lab-II) Dept., 21-09-2007)	690	12-12-2007	525	1886
50	Salt Pans (91, LET & F (Lab-II) Dept., 30-12-2006)	67	05-02-2007	502	1886
51	Safai Karmacharis (108, LET & F (Lab-II) Dept.,08-12-2009)	67	09-02-2010	590	1886
52	Security Services (43, LET & F (Lab-II) Dept., 28-05-2010)	251	02-06-2010	590	1886
53	Seed Processing Units (35, LET & F (Lab-II) Dept., 16-03-2009)	204	21-04-2009	487	1886
54	Shops and Commercial Establishments (116, LET & F(Lab.II) Dept., 07-12-2007)	705	19-12-2007	525	1886
55	Slate Factories (106, LET & F (Lab.II) Dept.,01-11-2007)	652	15-11-2007	525	1886
56	Soft Drinks and Aerated Water Manufacturing Units (52, LET & F (Lab-II) Dept., 06-07-2006)	410	10-07-2006	487	1886
57	Spinning Mills (3, LET & F (Lab-II) Dept., 07-01-2012)	387	09.07.2012	847	1886
58	Steel Mills and Steel Re-Rolling Mills (122,LET & F (Lab-II) Dept., 18-12-2007)	728	28-12-2007	525	1886
59	Stone Breaking & Stone Crushing Operations (05, LET &F (Lab.II) Dept., 02-02-2008)	71	14-02-2008	525	1886
60	Tanneries & Leather Manufactory (38, LET & F (Lab.II) Dept., 31-03-2009)	25	22-01-2010	508	1886
61	Tiles and Potteries (92, LET & F (Lab.II) Dept., 28-09-2007)	621	26-10-2007	525	1886
62	Tobacco (excluding Beedi Making) Manufactory (123, LET & F (Lab-II) Dept. 18-12-2007)	728	28-12-2007	525	1886

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
63	Toddy Tapping including selling and conveyance Industry (55, LET & F (Lab-II) Dept., 22-06-2007)	435	25-07-2007	508	1886
64	Wood Working establishment including furniture excluding Timbering Operation (34, LET & F (Lab-II) Dept., 26-05-2008)	326	05-06-2008	525	1886
65	Woolen Carpet making and Shawl Weaving Establishments (7, LET & F (Lab-II) Dept., 24-01-2007)	94	15-02-2007	502	1886

PART-II

Sl. No	Name of the Schedule Employment (G.O.Ms.No and date.)	Publication in A.P.Gazette Extraordinary Part-I		C.P.I. Points for Agricultural Workers linked in the existing notification (1986-100 series)	C.P.I. Numbers as on 01-10-2025
		No.	Date		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Betal Vines (32, LET & F (Lab.II) Dept., 18-06-2011)	368	20.07.2011	589	1492
2	Dairy Farming including Cattle Feeding and Conveyance (34, LET & F (Lab.II) Dept., 18.6.2011)	499-A	03.09.2011	589	1492
3	Poultry Farming including Feeding Units and Conveyance (33, LET & F (Lab.II) Dept., 18.06.2011)	368	20.07.2011	589	1492
4	Horticulture (72, LET & F (Lab.II) Dept., 18-7-2012)	629	23.11.2012	589	1492
5	Agriculture (73, LET & F (Lab.II) Dept., 18-7-2012)	280	18.04.2013	619	1492

NOTE:

- (i) The Cost of Living Allowance from 01-10-2025 to 31-03-2026 is admissible for the points over and above link points (i.e. Column.No.6-5) in respect of employments shown from Sl.No.1 to 65 in Part-I and Sl.No.1 to 5 in Part-II.

M.V.SESHAGIRI BABU,
Commissioner of Labour (FAC).

కార్మిక కాఖ కమీషనర్, ఆంధ్ర ప్రదేశ్: విజయవాడ వారి ఉత్తర్యులు మరియు

కనీస వేతనాల చట్టం, 1948 క్రింద సమర్థ ఆధికారి వారి ఉత్తర్యులు

ప్రస్తుతం : శ్రీ యమి.వి.శిషిగిరి టాటు, చ.ఎ.ఎస్.,

సం.జి /430/2025

తేదీ :29 .10.2025

విషయం: 1948 కనీస వేతనాల చట్టం - 01-10-2025 తేదీ నాటికి అనుసూచిత ఉపాధులలో పనిచేసే ఉద్యోగులకు వర్తించే జీవన వ్యయ సూచి సంఖ్యలు - వెల్లించడగు జీవన వ్యయ భత్యం - ఉత్తర్యులు - జారీ చేయడమయింది.

నిర్దేశం : 1. జి.ఓ.ఎం.ఎస్.నం.37, మహిళాభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమం, కార్మిక (కార్మిక-II) కాఖ, తేదీ. 15.03.1989.

2.జి/430/2025 విజయవాడలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కార్మిక కాఖ కమీషనర్ ప్రొసీడింగుల తేదీ : 07-04-2025.

<<>>

ఉత్తర్యు:

ఇందువెంట జతచేసిన అనుసూచితో చూపిన అనుసూచిత ఉపాధులలో కనీస వేతనాల రేట్లను ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది/సవరించింది. ఇవి ఆధికారిక గెజిట్ లో ప్రచురితమైన తేదీ నుండి అమలులోకి వచ్చాయి. అనుసూచిత ఉపాధులలోని వివిధ రకాల ఉద్యోగులకు వర్తించే జీవన వ్యయ ధర్మాన్ని ఇందు వెంట జత చేసిన అనుసూచితోని ఒకటవ భాగంలో గల వరుస సంఖ్య 1 నుండి 65 మరియు రెండవ భాగం లోని వరుస సంఖ్య 1 నుండి 5 ద్వారా గెజిట్ లో ప్రచురించబడిన ప్రకటనలో నిర్దిష్ట పరచడమయింది.

2. అనుసూచితోని 5 వ గడి ప్రకారం పారిశ్రామిక కార్మికుల కోసం కనీస ప్రాథమిక వేతనాల రేట్లను వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలకు జతచేయడమయింది. ప్రతి ఆరు నెలలు అంటే ఏప్రిల్ 1 వ తేదీన మరియు అక్టోబర్ 1 వ తేదీన జీవన వ్యయ ధర్మాన్ని కార్మిక కమీషనర్ ప్రకటించాలని ప్రకటనలలో చూపిన జీవన వ్యయ భత్యం ఖండం నిర్దిష్ట పరచింది. వరుసగా జూన్ మరియు డిసెంబర్ నెలలలో ముగిసే అర్థ సంవత్సరాల కోసం రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కార్మికుల వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలలో సగటు పెరుగుదలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. 1వ భాగంలోని 65 అనుసూచిత ఉపాధులు మరియు 2 వ భాగంలోని 5 అనుసూచిత ఉపాధులలోని ఉద్యోగుల విషయంలో 01-04-2025 తేదీనాటికి రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కార్మికులు అలాగే రాష్ట్ర వ్యవసాయ కార్మికుల కోసం వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలో సగటు పెరుగుదలను వ్రసే పర్కొన్ని 2వ నిర్దేశము ద్వారా విజయవాడలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మిక కాఖ కమీషనర్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

3. వరుసగా జనవరి నుండి జూన్, 2025 వరకు రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కార్మికులు మరియు వ్యవసాయ వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్య లను పరిగణనలోకి తీసుకుంటూ అనుసూచిత ఉపాధులలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల విషయంలో 01-10-2025 తేదీనాటికి రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కార్మికులు అలాగే రాష్ట్ర వ్యవసాయ కార్మికుల కోసం వినియోగదారుల ధర సూచి సంఖ్య లను ఇందువెంట జతచేసిన అనుసూచితో ఇందుమూలంగా ప్రకటించడమయింది. దిగువ ప్రకటనను ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గెజిట్ ఆసాధారణ సంచిక 1వ భాగంలో ప్రచురించడమవుతుంది.

ప్రకటన

1948, కనీస పేతనాల చట్టంలోని 2వ విభాగపు (డి) ఖండం మరియు 4వ విభాగపు (2) ఉప విభాగం క్రింద లబ్ధమైన అధికారాలను పురస్కరించుకొని విజయవాడలోని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కార్మిక శాఖ కమీషనర్ మరియు 1948, కనీస పేతనాల చట్టం క్రింద సమర్థ అధికారి అయిన సేను అనుసూచిలోని 1వ భాగం మరియు 2వ భాగం లో నిర్దేశించబడిన ఉపాధుల విషయంలో దిగువ పేర్కొన్న విధంగా 01-10-2025 తేదినాటికి జూన్, 2025 నెలతో ముగిసే ఇర్ల సంవత్సరం కోసం రాష్ట్ర పారిశ్రామిక కార్మికులు అలాగే రాష్ట్ర వ్యవసాయ కార్మికులకు సంబంధించి వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలను ఇందుమూలంగా ప్రకటిస్తున్నాను.

ఆ విధంగా అసాధారణ గెజిట్ లో ప్రకటించబడిన వినియోగదారు ధర సూచి సంఖ్యలు 01-10-2025 తేదినండి అమలులోకి వచ్చాయి.

విజయవాడలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మిక శాఖ కమిషనరు వారి 29.10.2025 తేదీ గల ప్రాసేడింగుల నెం. జి /430/ 2025 కు జతపరచిన

అనుసూచి

1వ భాగం

వరుస సంఖ్య	అనుసూచిత ఉపాధి పేరు (జి.ఓ.ఎం.ఎస్.నెం., తేదీ.)	ఆంధ్రప్రదేశ్ గజిటు అసాధారణ సంచిక 2వ భాగంలో ప్రచురణ		ప్రస్తుత ప్రకటనలో అనుసంధానించిన పారాశ్రామిక కార్మికుల సి.పి.చ పాయింట్లు (1982=100 పిరీసు)	01-10-2025 తేదీనాటికి సి.పి.చ సంఖ్యలు
		సంఖ్య	తేదీ		
1	2	3	4	5	6
1.	వివేని ఆయులు మిల్లులు (29-6-2011 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.39)	332	4-7-2011	835	1886
2	సర్వీసెంగు, మరమ్మతులతోపాటు ఆటోములైలు ఇంజనీరింగు చక్క పాపులు (31-3-2009 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.39)	25	22-01-2010	525	1886
3	1948, కనీస వేతనాల చట్టపు అనుసూచిలోని 1వ భాగం, IIవ భాగం క్రింద ప్రకటించినవి కాకుండా మిగిలినటువంటి స్టాక్లర్ల చట్టంలోని 2 (ఎం) విభాగం లేదా 85వ విభాగంలో నిర్వచించిన విధంగా ఏదేని స్టాక్లర్లో నిర్వహించే ఏదేని తయారీ ప్రక్రియ (07-01-2012 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం. 4)	281	17.05.2012	847	1886
4	చేనేతి పరిశ్రమల సంస్థలలోని అదనపు కేటగిరీలు (22-6-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.56)	386	4-7-2007	488	1886
5	బిస్కట్ల తయారీలో సహా టేకింగు ప్రక్రియ (28-9-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.II) శాఖ, నెం.87)	619	26-10-2007	525	1886

1	2	3	4	5	6
6	ఇటుక బట్టి పరిశ్రమ (22-11-2006 తేదీగల ఎలోబి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.84)	734	11-12-2006	502	1886
7	జీడిపప్పుల ప్రాసెసింగు సంస్థలు (24-6-2008 తేదీగల ఎలోబి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.49)	375	2-7-2008	525	1886
8	ప్లోస్ వేర్ పైపుల తయారీ మినహా సిమెంటు కాంక్రీటు పైపులు, సిమెంటు వేర్ తయారీ (22-9-2007 తేదీగల ఎలోబి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.84)	584	6-10-2007	502	1886
9	రసాయనాలు, మందులు (7-12-2007 తేదీగల ఎలోబి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.117)	705	19-12-2007	525	1886
10	చలనచిత్ర పరిశ్రమ (19-2-2009 తేదీగల ఎలోబి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.17)	105	19-2-2009	537	1886
11	క్లబ్ లు, క్యాంపీస్ లు (06-12-2006 తేదీగల ఎలోబి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.86)	759	20-12-2006	502	1886
12	కాఫీ మొక్కలను నాటడం (1-11-2007 తేదీగల ఎలోబి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.109)	653	15-11-2007	508	1886
13	కలర్ ఫ్రెంటింగ్, నూలు వడకడం (13-8-2008 తేదీగల ఎలోబి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.67)	500	28-08-2008	525	1886
14	డ్యామ్ లు, బహుళ ప్రయోజక ప్రాజెక్టులతో కలుపుకొని ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం (1-11- 2007 తేదీగల ఎలోబి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.107)	652	15-11-2007	508	1886
15	రోడ్లు, భవనాల పనుల నిర్మాణం, నిర్వహణ (22-9-2007 తేదీగల ఎలోబి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.85)	568	01-10-2007	525	1886

1	2	3	4	5	6
16	కాటన్ జిన్సింగ్, ఫైర్సింగ్, ఫ్లోక్లరలు (22-6-2010 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.50)	302	24-06-2010	572	1886
17	కాటన్ కార్పెట్ నెటి సంస్థలు (29-7-09 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.66)	376	03-08-2009	537	1886
18	డిస్ట్రీలరలు, ట్రవరీలు (28-9-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.86)	584	06-10-2007	525	1886
19	పని మనుషులు (01-11-2011 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.60)	44	18-01-2012	835	1886
20	ఎలక్ట్రానిక్ పరిక్రమ (11-10-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.99)	625	27-10-2007	525	1886
21	మత్స్య పరిక్రమ, సముద్రపు ఆహారం (28- 9-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.93)	617	26-10-2007	525	1886
22	పాదరక్షలు మరియు తోలు పరిక్రమ (17-08-2022 తేదీగల ఎల్ ఎఫ్ బి అండ్ ఐఎంఎస్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.27)	860	24.08.2022	1479	1886
23	గార్మింటు దాని అనుబంధ తయారీ పరిక్రమ (19-11-2011 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.62)	44	18-01-2012	835	1886
24	గాజు పరిక్రమ (28-9-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.91)	620	26-10-2007	525	1886
25	గోల్డ్ కవరింగ్, గోల్డ్ కోటింగ్ పరిక్రమ (1-11-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.108)	653	15-11-2007	525	1886
26	జౌళి, (సెల్క్) చేనేతి సంస్థలు (04-10-2008 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.88)	653	18-11-2008	488	1886

1	2	3	4	5	6
27	చేనేత, బాళి సంస్థలు (16-03-2009 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.34)	204	21-04-2009	488	1886
28	ఆసుపత్రులు, నర్సింగ్ హోంలు, క్లినిక్ లు, డిస్పెన్సరీలు (8-12-2011 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.68)	171	19-03-2012	847	1886
29	అన్ని కళాశాలల హాస్టళ్లు, అన్ని ఇతర విద్యా సంస్థలు (15-12-2011 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.71)	282	17-05-2012	835	1886
30	హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, బోజన కాలలు (01-11-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.105)	652	15-11-2007	508	1886
31	జనపచార, కొబ్బరి పీచు పరిశ్రమ (21-12-2011 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.74)	359	02-07-2012	835	1886
32	ఖండసారి ఫ్యాక్టరీలు (24-06-2008 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.48)	374	02-07-2008	525	1886
33	సున్నపురాయి పట్టీలు (07-02-2006 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.8)	87	16-02-2006	487	1886
34	మార్కెటింగ్ సొసైటీల వినయోగదారు సహకార సంఘాలు, సహకార బ్యాంకులు (18-12-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.121)	728	28-12-2007	525	1886
35	అగ్గపెట్టెలు, మందుగుండు పామర్ల పనులు (21-07-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.68)	466	03-08-2007	502	1886
36	బ్ల్యూస్ మిల్స్ లో ఉపయోగిస్తున్న మేస్తా (18-10-2006 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎప్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.79)	580	23-10-2006	502	1886

1	2	3	4	5	6
37	మెటల్ ఫౌండరీస్, జనరల్ ఇంజనీరింగ్ (28-09-2007 తేదీగల ఎలోబటి ఆండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.88)	621	26-10-2007	525	1886
38	మైకా పనులు (28-05-2008 తేదీగల ఎలోబటి ఆండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.35)	327	05-06-2008	525	1886
39	మిసి, టిసి సిమెంట్ ప్లాంట్లు (07-12-2007 తేదీగల ఎలోబటి ఆండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.118)	705	19-12-2007	525	1886
40	నిర్మాణం, పంపిణీ ఆండ్ ప్రచారంతోపాటు మ్యాషన్ సెన్ సరిక్రమ (11-10-2007 తేదీగల ఎలోబటి ఆండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.98)	625	27-10-2007	502	1886
41	ట్యుటోరియల్ ఇన్ ఫ్లిట్టూట్స్, కంప్యూటర్ కోచింగ్ సెంటర్స్ తోపాటు ప్రవేటు విద్యా సంస్థలలో పనిచేయుచున్న బోధనాధికారి సెట్టింగ్ (21-12-2011 తేదీగల ఎలోబటి ఆండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.73)	383	09-07-2012	847	1886
42	చేతితో తయారు చేసే పనులతోపాటు, స్ట్రా బోర్డుతోపాటు పనులు మరియు పనులు బోర్డులు (08-12-2011 తేదీగల ఎలోబటి ఆండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.69)	82	02-02-2012	835	1886
43	ఎల్లోలు బంకులు (28-09-2007 తేదీగల ఎలోబటి ఆండ్ ఎఫ్(కార్మిక.11)కాఖ, నెం.89)	621	26-10-2007	525	1886
44	మరమ్మింగ్ పరిక్రమ (03-07-2009 తేదీగల ఎలోబటి ఆండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.53)	375	03-08-2009	525	1886
45	లిఫ్, ఆఫ్ సెట్ తోపాటు ఫ్రైటింగ్ వ్రస్ (27-06-2008 తేదీగల ఎలోబటి ఆండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.51)	375	02-07-2008	525	1886
46	ప్రవేటు మోటారు ట్రాన్సుపోర్టు (28-09-2007 తేదీగల ఎలోబటి ఆండ్ ఎఫ్ (కార్మిక.11) కాఖ, నెం.90)	618	26-10-2007	525	1886

1	2	3	4	5	6
47	డాక్టర్ కన్నెల టింట్స్ తోపాటు చార్జెడ్, కాస్ట్ అకౌంట్స్ ఆడిటర్ల వంటి వ్యక్తి నిపుణులు, ఆద్యక్షుల వద్ద పనిచేస్తున్న క్లర్క్ (03-07-2009 తేదీగల ఎలోవబి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాబ, నెం.54)	375	03-08-2009	572	1886
48	పబ్లిక్ మాటర్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ (22-11-2006 తేదీగల ఎలోవబి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాబ, నెం.83)	723	04-12-2006	502	1886
49	రోటరీ షోర్ మిల్స్ తోపాటు రైస్ మిల్లులు, షోర్ మిల్లులు లేదా డాలర్ మిల్లులు (21-09-2007 తేదీగల ఎలోవబి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాబ, నెం.82)	690	12-12-2007	525	1886
50	పాల్డ్ పాన్స్ (30-12-2006 తేదీగల ఎలోవబి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాబ, నెం.91)	67	05-02-2007	502	1886
51	సఫాయి కర్మదారులు (08-12-2009 తేదీగల ఎలోవబి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాబ, నెం.108)	67	09-02-2010	590	1886
52	నక్కారటి సేవలు (28-05-2010 తేదీగల ఎలోవబి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాబ, నెం.43)	251	02-06-2010	590	1886
53	విత్తన ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు (16-03-2009 తేదీగల ఎలోవబి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాబ, నెం.35)	204	21-04-2009	487	1886
54	పాపులు, వాణిజ్య సంస్థలు (07-12-2007 తేదీగల ఎలోవబి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాబ, నెం.116)	705	19-12-2007	525	1886
55	చలక ప్యాక్షరీలు (01-11-2007 తేదీగల ఎలోవబి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాబ, నెం.106)	652	15-11-2007	525	1886
56	పాస్ట్ ట్రింక్స్, సోడా నీరు తయారీ యూనిట్లు (06-07-2006 తేదీగల ఎలోవబి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక.11) కాబ, నెం.52)	410	10-07-2006	487	1886

1	2	3	4	5	6
57	స్పెన్సింగ్ మిల్లులు (07-01-2012 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక్ర.11) కాఖ, నెం.3)	387	09-07-2012	847	1886
58	స్టేట్ మిల్లులు, స్టేట్ రీ రోలింగ్ మిల్లులు (18-12-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక్ర.11) కాఖ, నెం.122)	728	28-12-2007	525	1886
59	స్టోన్ ట్రేకింగ్ అండ్ స్టోన్ క్రపింగ్ ఆపరేషన్స్ (02-02-2008 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక్ర.11) కాఖ, నెం.05)	71	14-02-2008	525	1886
60	తోళ్ల గోదాములు అండ్ తోలు కర్మాగారము (31-03-2009 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక్ర.11) కాఖ, నెం.38)	25	22-01-2010	508	1886
61	ట్రెల్స్, కుమ్మరి పరిశ్రమలు (28-09-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక్ర.11) కాఖ, నెం.92)	621	26-10-2007	525	1886
62	బొగాకు (బీడి తయారీ కాకుండా) కర్మాగారం (18-12-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక్ర.11) కాఖ, నెం.123)	728	28-12-2007	525	1886
63	అమ్మకం, రవాణా పరిశ్రమలోపాటు కల్లుగిత (22-06-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక్ర.11) కాఖ, నెం.55)	435	25-07-2007	508	1886
64	కలప నిర్వహణ కాకుండా పర్షిచర్ తోపాటు కలప వని పరిపాలన (26-05-2008 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక్ర.11) కాఖ, నెం.34)	326	05-06-2008	525	1886
65	ఉలస్ కార్పట్ తయారీ, సాలుచా నెర (24-01-2007 తేదీగల ఎలక్షటి అండ్ ఎఫ్ (కార్యక్ర.11) కాఖ, నెం.07)	94	15-02-2007	502	1886

2వ భాగం

వయస్సు సంఖ్య	అనుసూచిత-ఉపాధి పేరు (జి.ఓ.ఎం.ఎస్.సం., తేదీ.)	ఆంధ్రప్రదేశ్ గణితు అసాధారణ సంచిత 2వ భాగంలో ప్రయోగం		ప్రస్తుత ప్రకటనలో అనుసంధానించిన వ్యవసాయ కార్మికుల సీ.పి.ఐ పాయింట్లు (1986=100 సీ.పి.ఐ)	01-10-2025 తేదీనాటికి సీ.పి.ఐ సంఖ్యలు
		సంఖ్య	తేదీ		
1	2	3	4	5	6
1	తమిళ తోగలు (18-06-2011 తేదీగల ఎల్.ఐ.టి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.ఐ) కాబ. సం.32)	368	20-07-2011	589	1492
2	పశువుల దాణాకోపాటు పాడి పరిశ్రమాలవ్యర్థ (18-06-2011 తేదీగల ఎల్.ఐ.టి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.ఐ) కాబ. సం.34)	499 -ఏ	03-09-2011	589	1492
3	దాణా యూనిట్లు, రవాణాకోపాటు కోళ్ల పరిశ్రమ (18-06-2011 తేదీగల ఎల్.ఐ.టి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.ఐ) కాబ. సం.33)	368	20-07-2011	589	1492
4	ఉద్యానవనాలు (18-07-2012 తేదీగల ఎల్.ఐ.టి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.ఐ) కాబ. సం.72)	629	23-11-2012	589	1492
5	వ్యవసాయం (18-07-2012 తేదీగల ఎల్.ఐ.టి అండ్ ఎస్ (కార్మిక.ఐ) కాబ. సం.73)	280	18-04-2013	619	1492

గమనిక :-

1. మొదటి భాగంలోని వయస్సు సంఖ్య 1 నుండి 65, రెండవ భాగంలోని 1 నుండి 5 వరకు యాపిన ఉపాధులకు సంబంధించి లింక్ పాయింట్లు (అంటే 6.5 గడులు) ప్రబడి పాయింట్లలో పెరుగుదల కోసం 01-10-2025 నుండి 31-03-2026 వరకు జీవన వ్యయభర్తాన్ని అనుమతించినందున.

తేదీ : 29-10-2025.

యమ్. వి.శేషగిరి బాబు,
కార్మిక కాబ కమిషనరు (యచ్.ఎ.సి).

---X---



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(बिमा एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी.आई.डी. रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAVAN C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-33604700 Email: di-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

File No. P-11/12/Misc./2024-Rev.II

Date: 09.10.2025

To

The Regional Director /Joint Director Incharge
Employees State Insurance Corporation.

Subject: Filing Monthly Contribution showing large no. of tagged employees with Zero Days- Reg.

Sir,

An analysis of Monthly Contribution (MC) data for the month of March 2025 has been done in respect few big units wherein large no. of employees are tagged but majority of employees are shown with Zero Contribution Days in the Monthly Contribution filed. In the MC, remarks against these Zero Contributory Days employees are shown as On Leave/ No Work.

It is further noticed that majority of these employees with Zero Contributory Days remains tagged with the employer code since long period and consistently being shown "On Leave/ No Work", in the MC. This has created doubt that whether they are (i) on their payroll but on long leave or (ii) have left the insurable employment (not on their payroll anymore)/ goes beyond ESI wage ceiling but have not been removed while filing the MC, showing them Left/ Exempted or (iii) showing Zero Days to evade statutory compliance but keep them on their payroll to pass on their financial liability to ESIC, in the event of some eventuality.

If a person is shown as employee u/s (9) of the ESI Act, 1948, without actually being in insurable employment, it is tantamount to submitting false return, a punishable offense u/s 85(e) of the ESI Act, 1948.

As per the provision u/s 103-A (1) which provide that a person on becoming an insured person for the first time shall be entitled to medical benefit for a period of 3 months provided that where such a person continues for 3 months or more to be an employee of a factory or establishment to which the Act applies, he shall be entitled to medical benefit till the beginning of the corresponding benefit period.

There may be cases where employees have left before three month but shown as tagged employee for one or other reasons.

In view of the above, regions are requested to analyze the MC data especially in respect of big units where large no. of employees are shown with Zero Contributory Days in the MC and analyze the data in consultation with the employers and the employees left should be asked to be removed form the MC data of such employers

This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

(Rakesh Roshan)
Deputy Director (Revenue)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102025-267222
CG-DL-E-28102025-267222

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4764]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 28, 2025/ कार्तिक 6, 1947

No. 4764]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2025/ KARTIKA 6, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4915(अ).— केंद्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवम्बर, 2025 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध सिक्किम राज्य के मंगन, सोरेंग और म्यालशिंग जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

- (i) धारा 38 से धारा 43;
- (ii) धारा 45क से धारा 45ज;
- (iii) धारा 46 से धारा 75;
- (iv) धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4); और
- (v) धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस-38013/04/2025-एसएस-1]

आशुतोष ए.टी. पेडनेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2025

S.O. 4915(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2025 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force in the entire area of the Soreng, Gyalshing and Mangan Districts in the State of Sikkim, namely: —

- (i) sections 38 to 43;
- (ii) sections 45A to 45H;
- (iii) sections 46 to 75;
- (iv) sub-section (2) to (4) of section 76; and
- (v) sections 82 and 83.

[F. No. S-38013/04/2025-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.



कर्मचारी भविष्य निधि संघटन
Employees Provident Fund Organisation

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्यकार्यालय/ HEAD OFFICE



एन.बी.सी.सी. सेक्टर, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4th फ्लोर, ईस्ट किडवाली नगर, नई दिल्ली-110023
NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4th Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

No. Compliance/U/P78/2022/Advocacy/ 55643/ /13179

Dated: 07 OCT 2025

To,

ACC (HQ)/ ACC
In-charge of Zones

Subject: Prominent display of the extract of Form 5A at the entrance of the establishment or on the website along with mobile application of the establishment- regarding.

Madam/Sir,

In exercise of power conferred under section 78(1) of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government has directed Employees Provident Fund Organisation to issue order to ensure prominent display of the extract of Form 5A at the entrance of the establishment or on their website along with mobile application.

2. Accordingly, the Central P.F. Commissioner, in exercise of powers conferred under Para 78(3) of the Employees' Provident Funds Scheme 1952, has issued directions for display of the extract of the Form 5A at the entrance of the establishment or on their website along with mobile application. A copy of the order is attached as Annexure-A.

3. You are requested to bring it to the notice of the employers of the establishments covered under your jurisdiction.

[Issued with the approval of the CPFC]

Encl: As above


(P. B. Verma)

Addl. Central P.F. Commissioner (Compliance)

Copy to:

1. All Officer-in-Charge, Regional/ District Office with a request to ensure that the above noted directions are complied with by establishments under their respective jurisdiction.
2. Web Admin for web upload.



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation

श्रम एवं रोजगार विभाग, भारत सरकार

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्यालय/ HEAD OFFICE

एन.बी.सी.सी. सेंटर, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4th फ्लोर, ईस्ट किडवाली नगर, नई दिल्ली -110023
NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4th Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



No. Compliance/U/P78/2022/Advocacy/ 55643/ 13178

Dated: 06/10/2025

07 OCT 2025

ORDER

In the matter of : Issue of direction under Para 78(3) of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 for proper implementation of the Scheme.

In pursuance of the directions issued by the Central Government (the Ministry of Labour & Employment, Govt. of India) under Para 78(1) of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, I, Ramesh Krishnamurthi, Central Provident Fund Commissioner, hereby issue the following directive in exercise of powers conferred under Para 78(3) of the said Scheme :

Employers of establishments covered under the Act are directed to ensure prominent display of the extract of Form 5A at the entrance of the establishment OR on the website along with mobile application of the establishment.

- i. <EPF Code>
- ii. <Registered Name>
- iii. <Date of Coverage>
- iv. <No. of Branches>&<Primary Branch Address>
- v. <Regional Office>

2. Employers of the establishments are requested to ensure compliance to above noted directions within 15 days of issue of this order.

3. Non-compliance with the directions noted herein above, may attract appropriate legal action under Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provision Act, 1952 and the Schemes framed thereunder.

(Ramesh Krishnamurthi)
Central Provident Fund Commissioner

Ministry of Labour & Employment



EPFO Extends date of filing of new ECR up to 22nd October 2025

Posted On: 13 OCT 2025 6:35PM by PIB Delhi

The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) has launched revamped Electronic Challan-cum-Return (ECR) system, which is applicable starting wage month September 2025. The revamped system aims to simplify and enhance user experience of the return filing process for employers via the EPFO's employer portal.

However, considering the request from a number of employers in adapting to new features of the revamped ECR and consequent difficulty in filing returns by the establishments, it has been decided to extend the date of ECR filing till 22nd October 2025 for the wage month September.

In order to facilitate smooth transition to the revamped Electronic Challan-cum-Return (ECR) system, the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) has also undertaken a series of awareness program with employers and industry representatives across the country.

At the central level, EPFO held meetings with major industry bodies including the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) and the PHD Chamber of Commerce and Industry (PHDCCI), Employer Federation of India (EFI) to apprise them of the new features and procedural reforms introduced in the revamped ECR system. The discussions focused on the advantages of the new return filing process, including enhanced data accuracy, sequential return validation, and better compliance facilitation.

In continuation of this outreach, Zonal and Regional Offices of EPFO are also conducting interactive sessions and workshops with employers and establishment representatives. These programs aim to provide on-ground handholding support to establishments and ensure timely and error-free filing of returns under the revamped system.

EPFO remains committed to ensuring a seamless digital experience for employers and strengthening transparency and compliance in provident fund administration.

Rini Choudhury/Anjelina Alexander

(Release ID: 2178587) Visitor Counter : 512

Read this release in: Urdu , हिन्दी

Panaji, 01st October, 2025 (Asvina 9, 1947)

SERIES I No. 26

OFFICIAL GAZETTE

GOVERNMENT OF GOA

PUBLISHED BY AUTHORITY

EXTRAORDINARY

No. 3

GOVERNMENT OF GOA

Department of Law

Legal Affairs Division

Notification

7/29/2025-LA/143

Date : 01-Oct-2025

The Goa Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025 (Goa Act 23 of 2025), which has been passed by the Legislative Assembly of Goa on 07/08/2025 and assented to by the Governor of Goa on 19/09/2025, is hereby published for the general information of the public.

Dnyaneshwar Raut Dessai, Joint Secretary (Law).

Porvorim.

The Goa Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025

(Goa Act 23 of 2025)

AN

ACT

[19/09/2025]

to provide for the regulation of conditions of employment and other conditions of service of workers employed in shops, commercial establishments, residential hotels, restaurants, eating houses, theatres, other places of public amusement or entertainment and other establishments and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Goa in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. *Short title, extent, application and commencement.*— (1) This Act may be called the Goa Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2025.

(2) It shall extend to the whole of the State of Goa.

(3) The provisions of this Act, except section 7, shall apply to the establishments employing twenty or more workers and the provisions of section 7 shall apply to the establishments employing less than twenty workers.

(4) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. *Definitions.*— In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “Chief Facilitator” means the Chief Facilitator appointed as such under section 31 of this Act;

(b) “child” means a person who has not completed his fourteenth years of age;

(c) “commercial establishment” means any establishment which carries on any business, trade or profession or any work in connection with, or incidental or ancillary to, any business, trade or profession and includes,—

(i) a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act XXI of 1860) or charitable or other trust, whether registered or not, which carries on, whether for purposes of gain or not, any business, trade or profession or work in connection with, or incidental or ancillary to, such business trade or profession;

(ii) an establishment of any medical practitioner (including hospital, dispensary, clinic, polyclinic, maternity home and such others), architect, engineer, accountant, tax consultant, insurance consultant or any other technical or professional consultant; and

(iii) any other establishment which the Government may notify to be a commercial establishment, but does not include a factory, shop, residential hotel, restaurant, eating house, theatre or other place of public amusement or entertainment.

(d) “day” means the period of twenty-four hours beginning at midnight;

(e) “employer” means a person owning or having ultimate control over the affairs of an establishment, and includes,—

(i) in the case of a firm or association of individuals, a partner or members of the firm or association;

(ii) in the case of a company, a director of the company;

(iii) in the case of an establishment owned or controlled by the Central Government or a State Government or any local authority, the person or persons appointed to manage the affairs of such establishment by the Central Government or the State Government or the local authority, as the case may be;

(iv) the manager, agent or other person acting in the general management or control of an establishment.

(f) “establishment” means a shop, commercial establishment, residential hotel, restaurant, eating house, theatre or other place of public amusement or entertainment, to which this Act applies and includes such other establishment as the Government may, by notification in the Official Gazette, declare to be an establishment for the purposes of this Act;

(g) “Facilitator-cum-Inspector” means a Facilitator-cum-Inspector appointed under Section 31 of this Act;

(h) “factory” means factory within the meaning of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948);

(i) “Government” means the Government of Goa;

- (j) “holiday” means a day on which a worker shall be given a weekly off under the provisions of this Act;
- (k) “leave” means a leave provided for in Chapter V of this Act;
- (l) “local area” means any area or combination of areas to which this Act applies;
- (m) “local authority” means the Municipal Corporation of Panaji constituted under the City of Panaji Corporation Act, 2002 (Goa Act 1 of 2003), Municipalities constituted under the Goa Municipalities Act, 1968 (Act No. 16 of 1968), Panchayats constituted under the Goa Panchayat Raj Act, 1994 (Goa Act 14 of 1994), The Goa Industrial Development Corporation constituted under the Goa Industrial Development Act, 1965 (Act No. 22 of 1965), the Authority constituted under the Goa (Mopa Airport Development Authority) Act, 2018 (Goa Act 10 of 2018), the Authority under the Airports Authority of India Act, 1994 (Central Act No. 55 of 1994) and includes any other body which the Government may, by notification in the Official Gazette, declare to be a local authority for the purposes of this Act;
- (n) “manager” means a person mentioned in the application under section 6 of this Act;
- (o) “member of the family of an employer” means the wife, husband, son, daughter, father, mother, brother or sister of an employer who lives with and is dependent on such employer;
- (p) “opened” means opened for the service of any customer, or for any business of the establishment, or for work, by or with the help of any worker of, or connected with, the establishment;
- (q) “period of work” means the time during which a worker is at the disposal of the employer;
- (r) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (s) “prescribed authority” means the Commissioner of Labour for the purposes of this Act;
- (t) “register of establishment” means a register maintained for the registration of establishments under this Act, either manually or in electronic format;
- (u) “registration certificate” means a certificate of the registration of an establishment;
- (v) “residential hotel” means any premises used for the reception of guests and travellers desirous of dwelling or sleeping therein and includes residential club;
- (w) “restaurant or eating house” means any premises, in which, wholly or partially the business of the supply of meal or refreshments to the public or a class of the public for consumption on the premises is carried on, but does not include a restaurant attached to a theatre or restaurant or a canteen attached to a factory if the persons employed therein are allowed the benefits provided for workers under the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948);
- (x) “shop” means any premises where goods are sold, either by retail or wholesale or where services are rendered to customers, and includes an office, a store-room, godown, warehouse or work place, whether in the same premises or otherwise, mainly used in connection with such trade or business, but does not include a factory;
- (y) “spread over” means the period between the commencement and the termination of the work of a worker on any day;
- (z) “theatre” includes any premises intended principally or wholly for the exhibition of pictures or other optical effects by means of a cinematograph or other suitable apparatus or for dramatic performances or for any other public amusement or entertainment;
- (za) “wages” means wages as defined in the Payment of Wages Act, 1936 (Central Act 4 of 1936);
- (zb) “week” means the period of seven days beginning at midnight of Saturday;
- (zc) “worker” means any person (except an apprentice under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), employed to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied but does not include member of the family of an employer who is not in receipt of any wages;
- (zd) “young person” means a person who is not a child but has not completed eighteen years of age.

3. *Act not to apply to certain establishments and persons.*— The provisions of this Act shall not apply to,

- (1) Establishments of the Central and State Government; and their agencies, statutory and autonomous bodies;
- (2) Establishments of Local Authorities;
- (3) Establishments used for treatment or care of infirm, destitute or mentally unfit;
- (4) Establishments pertaining to any kind of educational activities excepting those where coaching or tuition classes are conducted by individual persons or any institutions other than those,—
- a) affiliated to any university established by law; or
- b) recognised by the Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education under the Goa, Daman and Diu Secondary and Higher Secondary Education Board Act, 1975 (Goa Act No. 13 of 1975); or
- c) recognised by the Directorate of Education or the Directorate of Technical Education as a secondary or technical high school, Industrial Training Institute (I.T.I.), Polytechnic, Engineering Colleges or other technical institutions conducting courses recognised by Government;
- (5) A worker occupying position of confidential, managerial or supervisory character in an establishment, a list of which shall be displayed on the website of establishments and in absence of the website at a conspicuous place in the establishment and a copy thereof shall be sent to the Facilitators;
- (6) A worker whose work is inherently intermittent;
- (7) A member of the family of an employer;
- (8) A worker in any establishment whose average monthly wages exceed rupees twenty four thousand;
- (9) An establishment in bazaar or in places where fairs or festivals are held temporarily for a period not exceeding one month at a time.

4. *Application of Act to other establishments and workers.*— (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare any establishment or class of establishments to which, or any worker or person or class of workers or persons to whom, this Act or any of the provisions thereof does not for the time being apply, to be an establishment or class of establishments or a worker or a person or class of workers or persons to which or whom this Act or any provisions thereof with such modifications or adaptations as may in the opinion of the State Government be necessary shall apply from such date as may be specified in the notification.

(2) On such declaration under sub-section (1), any such establishment or class of establishments or such workers or person or class of workers or persons shall be deemed to be an establishment or class of establishments to which, or to be a worker or a person or class of workers or persons to whom, this Act, applies and all or any of the provision of this Act with such modification or adaptation as may be specified in such declaration, shall apply to such establishment or class of establishments or to such worker or persons or class of workers or persons.

5. *Suspension of all or any of provisions of this Act.*— The State Government may, by notification in the Official Gazette, suspend the operation of all or any of the provisions of this Act for such period and subject to such conditions as it deems fit on account of any holidays or occasions.

CHAPTER II

REGISTRATION OF ESTABLISHMENTS

6. *Registration of establishments.*— (1) Within a period of sixty days from the date of commencement of this Act or the date on which establishment commences its business, the employer of every establishment employing twenty or more workers shall submit application online in a prescribed form for registration to the Facilitator-cum-Inspector of the local area concerned, together with such fees and such self declaration and self-certified documents as may be prescribed, containing—

- (a) the name of the employer and the manager, if any;
- (b) the postal address of the establishment;
- (c) the name, if any, of the establishment;
- (d) the actual nature of the business of the establishment; and

(e) such other particulars as may be prescribed:

Provided that, nothing contained hereinabove shall apply to the establishments already having valid registration or renewal under the Goa Shops and Establishments Act, 1973 (Goa Act No. 13 of 1974), until expiry of their registration or renewal.

(2) On receipt of the application along with documents and the fees online, the Facilitator-cum-Inspector shall, register the establishment in the register of establishments in such manner as may be prescribed and shall issue online, in a prescribed form, a registration certificate along with the Labour Identification Number (LIN) to the employer within the period of seven working days upon verifying the correctness of the application and documents attached thereto. In case the application is incorrect or the documents submitted are incomplete or incorrect the same shall be rejected. The registration certificate shall be produced whenever it is demanded by the Facilitator-cum-Inspector.

(3) If the application is complete in all respect including the necessary documents and the Facilitator-cum-Inspector fails to register the establishment within the prescribed period specified in sub-section (2), such establishment shall be deemed to have been registered under this Act, immediately on the expiration of such period.

(4) A registration certificate granted under sub-section (2) shall be valid for such period as may be requested by the applicant and specified therein subject to a maximum period of five years. An application for the renewal of a registration certificate shall be submitted online not less than thirty days before the date of expiry of the registration certificate or of the renewed registration certificate, as the case may be, and shall be accompanied by such fees, and the renewed registration certificate shall be issued by the Facilitator-cum-Inspector within seven working days and the same shall be in such form, as may be prescribed.

(5) If the application for the renewal of a registration certificate is submitted after the expiry of the period specified in sub-section (3), such application shall be accompanied by an additional fee as late fee equal to half of the fee payable for the renewal of a registration certificate.

(6) If the Facilitator-cum-Inspector fails to renew the registration certificate within the prescribed period specified in sub-section (4), and the application is complete in all respect, such registration certificate shall be deemed to have been renewed under this Act, immediately on the expiration of such period.

(7) In the event of any doubt or difference of opinion between an employer and the Facilitator-cum-Inspector with respect to any provisions of this Act, the Facilitator-cum-Inspector shall refer the matter to the prescribed authority which shall, after inquiry as it thinks proper, decide the matter and its decision shall be final for the purposes of this Act.

7. Intimation of establishment employing less than twenty workers.— (1) Within a period of sixty days from the date of commencement of this Act or the date on which establishment commences its business, the employer of every establishment employing less than twenty workers shall give an intimation of having commenced the business by submitting online application as may be prescribed, containing details such as name of the employer and manager, name of establishment, nature of business, number of workers and such other details as may be prescribed:

Provided that, if at any point of time the number of workers engaged in the establishment become twenty or more, then all provisions of this Act shall apply to such establishment and the employer of such establishment shall have to obtain registration as per the provisions of section 6:

Provided further that, nothing contained in this sub-section shall apply to the establishments already having valid registration or renewal under the Goa Shops and Establishments Act, 1973 (Act No. 13 of 1974), until expiry of their registration or renewal.

(2) The employer of such establishment employing less than twenty workers shall intimate within thirty days from the date of the closing of the business that the establishment has been closed for business in such form and manner as may be prescribed.

8. Cancellation of registration.— At any time, if it is found or brought to the notice of the Facilitator-cum-Inspector that the registration of any establishment has been obtained by misrepresentation or suppression of material facts or by submitting false or forged documents or false declaration or by fraud, and therefore, requires to be revoked, the Facilitator-cum-Inspector shall, after giving an opportunity of being heard, to the employer of the establishment, cancel the registration and remove such establishment from the register of establishments in the manner prescribed.

9. *Change to be communicated to Facilitator-cum-Inspector.*— Every employer shall digitally communicate to the Facilitator-cum-Inspector, in such form as may prescribed, any change in any of the particulars contained in the application submitted under section 6 within such period, after the change has taken place, as the Government may prescribe. The Facilitator-cum-Inspector shall, on receiving such notice and such fees as may be prescribed along with the self-declaration of the applicant and self certified documents as may be prescribed, make the change in the register of establishments in accordance with such notice and shall issue a fresh registration certificate online.

10. *Closing of establishment to be communicated to Facilitator-cum-Inspector.*— (1) The employer shall communicate to the Facilitator-cum-Inspector within thirty days from the date of closing of the business that the establishment has been closed for business in such form and manner, as may be prescribed.

(2) The Facilitator-cum-Inspector on receiving the information and on being satisfied about its correctness, shall remove such establishment from the register of establishments and cancel the registration certificate:

Provided that, if the Facilitator does not receive the information but he is otherwise satisfied that any establishment has been closed, he may remove such establishment from such register of establishments and cancel such certificate.

CHAPTER III

OPENING AND CLOSING HOURS, HOURS OF WORK, INTERVAL FOR REST, SPREAD-OVER, WAGES FOR OVERTIME AND WEEKLY OFF

11. *Opening and closing hours of establishment.*— Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, fix, by notification in the Official Gazette, in the public interest, such hours for opening and closing of different classes of establishments and for different premises, shopping complex or mall or for different area or areas and for different period.

12. *Daily and weekly hours of work in establishment and interval for rest.*— Subject to the other provisions of the Act, no adult worker shall be required or allowed to work in any establishment for more than ten hours in any day and forty-eight hours in any week. No adult worker shall be asked to work continuously for more than five hours unless he has been given a break of not less than half an hour:

Provided that, the working hours or weekly holiday may be relaxed in case of work of urgent nature with the previous permission of the Facilitator-cum-Inspector.

13. *Spread-over in establishments.*— The spread-over of a worker in establishment shall not exceed twelve hours in any day, and in case a worker entrusted with intermittent nature of work or urgent work, the spread over shall not exceed fourteen hours.

14. *Wages for overtime.*— (1) Where a worker in any establishment is required to work beyond eight hours in a day excluding the rest time or forty eight hours a week, he shall be entitled in respect of the overtime work, wages at the rate of twice his ordinary rate of wages.

(2) The total number of overtime hours shall not exceed one hundred and forty-four hours in a period of three months:

Provided that in case the worker is required to work upto 10 hours excluding the rest time as normal working day, the overtime at the rate twice his ordinary rate of wages shall apply only when the worker works beyond 48 hours in a week.

15. *Weekly holiday for worker.*— (1) A department or any section of a department of the establishment may work in more than one shift at the discretion of the employer and if more than one shift is worked, the worker may be required to work in any shift at the discretion of the employer.

(2) An establishment may be kept open for business on all days in a week subject to the condition that every worker shall be allowed weekly holiday of at least twenty-four consecutive hours of rest.

(3) If a worker is denied weekly holiday, the compensatory holiday in lieu thereof shall be given within two months of such weekly holiday.

(4) The period and hours of work in a week for all classes of workers in such shift shall be informed well in advance to all workers in writing and shall be sent to the Facilitator-cum-Inspector electronically or otherwise.

(5) Where a worker is required to work on a day of his rest, he shall be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages.

(6) No deduction shall be made from the wages of any worker in an establishment on account of any day on which it has been a weekly holiday under this section. If a worker is employed on a daily wage, he shall nonetheless be paid his daily wage for the day of his weekly off. If a worker is paid a piece rated wage, he shall nonetheless be paid his wage for the day of his weekly holiday, at a rate equivalent to the daily average of his wages for the days on which he has actually worked during the six days preceding such holiday, exclusive of any earning in respect of overtime:

Provided that, nothing in this sub-section shall apply to any worker whose total period of continuous employment is less than six days.

CHAPTER IV

EMPLOYMENT OF WOMEN, CHILDREN AND YOUNG PERSONS

16. *Employment of women.*— (1) No woman worker shall be required or allowed to work in any establishment except between the hours of 7.00 a.m. and 7.30 p.m.:

Provided that, the woman worker shall be allowed to work during 7.30 p.m. and 7.00 a.m. in any establishment, having provision of shelter, restroom, ladies toilet, adequate protection and safety, protection from sexual harassment and facility of transportation from the establishment to their residence and subject to written consent of the woman worker.

(2) Notwithstanding anything contained in the preceding sub-section, the State Government may, by Notification in the Official Gazette, in the public interest, prohibit or regulate the employment of women workers after 7.30 p.m. and before 7.00 a.m. in any establishment as it may deem fit.

17. *Employment of child.*— No child shall be employed or permitted to work in any establishment.

18. *Employment of young persons.*— No young person shall be required or allowed to work in any establishment before 6 a.m. and after 7 p.m.

19. *Daily and weekly hours of work for young persons.*— Notwithstanding anything contained in this Act, no young person shall be required or allowed to work in any establishment for more than 7 hours in any day and forty-two hours in any week nor shall such person be allowed to work overtime.

CHAPTER V

LEAVE WITH PAY AND PAYMENT OF WAGES

20. *Leave.*— (1) Every worker shall be allowed a weekly holiday with wages.

(2) Every worker in any establishment shall be entitled in every calendar year,—

(a) to leave with wages for a period of nine days, on the ground of any sickness incurred or accident sustained by him; and

(b) to casual leave with wages for a period of six days on any reasonable ground:

Provided that the sick leave and the casual leave shall laps if unavailed at the end of the year.

(3) Every worker who has worked for a period of two hundred and forty days or more in an establishment during a calendar year shall be allowed during the subsequent calendar year, earned leave with wages for a period of fifteen days.

(4) Every worker shall be permitted to accumulate earned leave upto a maximum of forty-five days.

(5) Where the employer refuses to sanction the leave under sub-section (3) which is due when applied, then the worker shall have a right to encash leave in excess of forty-five days.

(6) A worker shall be entitled to nine paid holidays in a calendar year, namely, Republic Day, Birth Anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar, May Day, Independence Day, Ganesh Chaturthi, Gandhi Jayanti, Diwali, Goa Liberation Day and Christmas Day. For holiday on these days, he shall be paid wages at a rate equivalent to the daily average of his wages (excluding overtime), which he earns during the month in which such compulsory holidays falls:

Provided that, the employer may require any worker to work in the establishment on all or any of these days, subject to the conditions that for such work, the worker shall be paid double the amount of the daily average wages and also leave on any other day in lieu of the compulsory holiday.

(7) For the purpose of sub-section (3),—

(a) any days of lay-off, by agreement or contract or as permissible under the model standing orders or standing order certified under Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (Central Act 26 of 1946);

(b) in the case of a woman worker, maternity leave as provided for in the Maternity Benefits Act, 1961 (Central Act 53 of 1961);

(c) the leave earned in the year prior to that in which the leave is availed; or

(d) the worker has been absent due to temporary disablement caused by accident arising out of and in the course of his employment, shall be deemed to be days on which the worker has worked in any establishment for the purpose of computation of the period of two hundred and forty days or more, but shall not earn leave for these days.

(8) The leave admissible under this section shall be exclusive of all holidays whether occurring during or either at the end of the period of leave.

(9) Every worker shall be paid for the period of his leave earned under sub-section (3) at a rate equivalent to the daily average of his wages for the days on which he actually worked during the preceding three months, exclusive of any earnings in respect of overtime.

CHAPTER VI WELFARE PROVISIONS

21. *Health and safety of workers.*— (1) Every employer shall take such measures relating to the health and safety of the workers including cleanliness, lighting, ventilation and prevention of fire as may be prescribed.

(2) Every employer shall be responsible for providing constant adequate supervision of the workers employed in the establishment and to ensure the compliance with the rules relating to health and safety made under sub-section (1) and for taking steps necessary to prevent accidents.

22. *First-aid.*— Every employer shall provide at the place of work first-aid facilities as may be prescribed.

23. *Drinking water.*— The employer shall make effective arrangements to provide and maintain at suitable points conveniently situated for all persons employed in the establishment, a sufficient supply of wholesome drinking water.

24. *Latrines and urinals.*— The employer shall provide sufficient latrine and urinal for men and women as may be prescribed and these shall be so conveniently situated as may be accessible for the workers employed in the establishment:

Provided that, several employers may provide common facilities of latrines and urinals, in case it is not possible, in an establishment due to constraint in space or otherwise.

25. *Creche facility.*— In every establishment wherein fifty or more workers are employed, there shall be provided and maintained a suitable room or rooms as crèche for the use of children of such workers:

Provided that, if a group of establishments, so decide to provide a common creche within a radius of one kilometre, then, the same shall be permitted by the Chief Facilitator by an order, subject to such conditions as may be specified in the order.

26. *Canteen.*— The State Government shall require the employer to provide and maintain in the establishment, wherein not less than one hundred workers are employed or ordinarily employed to maintain a canteen for the use of its workers:

Provided that, if a group of establishments, so decide to provide a common canteen, then the same shall be permitted by the Chief Facilitator by an order, subject to such conditions as may be specified in the order.

CHAPTER VII RECORDS AND RETURNS

27. *Maintenance of registers and records.*— (1) Every employer shall maintain such registers and records, as may be prescribed.

(2) The records may be maintained electronically or manually:

Provided that, at the time of inspection by a Facilitator-cum-Inspector, a hard copy of such records if demanded, shall be submitted duly signed by the employer or his representative.

(3) Every employer and in his absence the manager shall on demand produce for inspection of Chief Facilitator and Facilitator-cum-Inspector all registers, records and notices required to be kept under and for the purposes of this Act.

(4) All such registers and records shall be kept in the premises of the establishments to which they relate.

28. *Annual Return.*— The employer of an establishment shall furnish an annual return, in such a form and in such manner (including electronic form), to such authority as may be prescribed.

29. *Appointment Letter.*— Every employer shall give an order of appointment to his worker in the establishment before such worker joins the service:

Provided that in the case of a worker in the service at the commencement of this Act, the employer shall give such order of appointment within a period of three months from the date of such commencement.

30. *Employer to furnish identity card to worker.*— The employer of an establishment shall furnish to every worker an identity card which shall be produced by the worker on demand to Facilitator-cum-Inspector. Such card shall contain the following and such other particulars as may be prescribed, namely:—

- (a) the name of the employer;
- (b) the name, if any, and the postal address, of the establishment;
- (c) the name and date of birth of the worker;
- (d) date of joining, department, nature of work, designation;
- (e) the signature (with date) of the employer or manager.

CHAPTER IX

ENFORCEMENT AND INSPECTION

31. *Appointment of Chief Facilitator and Facilitator-cum-Inspector and their powers.*— (1) The State Government may, by Notification in the Official Gazette, appoint a Chief Facilitator who shall, in addition to the powers conferred on a Chief Facilitator under this Act, exercise the power of a Facilitator-cum-Inspector throughout the State.

(2) The State Government may, by Notification in the Official Gazette, appoint such persons who possess such qualification as may be prescribed, to be the Facilitator-cum-Inspector, for the purposes of this Act, and may assign to them such local limits as it may think fit.

(3) The State Government may prescribe a scheme for randomized inspection of establishments which shall provide for generation of a web-based inspection schedule.

(4) Subject to such conditions as may be prescribed, a Facilitator-cum-Inspector may, within the local limits for which he is appointed—

- i. advise the employers and workers and provide them such information as may be considered necessary for complying with the provisions of this Act effectively;
- ii. inspect the establishment in accordance with the scheme for inspection referred to in sub-section (3) or otherwise, and may—

(a) enter, at all reasonable time and with such assistants, if any, being persons in the service of the Government or of any local authority as he thinks fit, any place which is or which he has reason to believe is an establishment;

(b) make such examination of the premises and of any prescribed registers, records and notices, and take on the spot or otherwise evidence of any persons as he may deem necessary for carrying out the purposes of this Act;

(c) examine any person who is found in any premises of the establishment and whom, the Facilitator-cum-Inspector has reasonable cause to believe, is a worker of the establishment;

(d) require any person to give any information, which is in his power to give with respect to the names and addresses of the persons;

(e) search, seize or take copies of such register, record of wages or notices or portions thereof as the Facilitator-cum-Inspector may consider relevant in respect of an offence under this Act and which the Facilitator-cum-Inspector has reason to believe has been committed by the employer;

(f) bring to the notice of the State Government defects or abuses not covered by the law for the time being in force; and

(g) exercise such other powers, as may be prescribed:

Provided that, no person shall be compelled under this section to answer any question or give any evidence tending to incriminate himself.

(5) The Chief Facilitator shall apart from exercising all the powers and functions of the Facilitator control and supervise the functioning of the Facilitator-cum-Inspector and may assign or reassign the area of work of the Facilitator-cum-Inspector subject to the jurisdiction of the local area.

(6) Any person required to produce any document or to give any information required by Chief Facilitator and Facilitator-cum-Inspector appointed under sub-sections (1) and (2) shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of sections 210 and 211 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023).

(7) The provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023) shall, apply to the search or seizure under sub-clause (e) of clause (ii) of sub-section (4) as they apply to the search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 97 of the said Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023).

(8) Every Chief Facilitator and Facilitator-cum-Inspectors appointed under sub-sections (1) and (2) shall be deemed to be a public servant within the meaning of sub-section 28 of Section 2 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act 45 of 2023).

CHAPTER X OFFENCES AND PENALTIES

32. *Penalty for contravention of provisions of this Act.*— (1) Whoever, contravenes the provisions of this Act or the rules made thereunder shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees and in the case of a continuing contravention, with an additional fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such contravention continues:

(2) If any person who has been convicted of any offence punishable under sub-section (1) is again guilty of an offence involving a contravention or failure of compliance of the same provision, he shall be punished on a subsequent conviction with fine which may extend to twenty thousand rupees.

33. *Penalty for contravention of provisions of this Act which resulted in accident.*— Save as otherwise expressly provided in this Act, where an employer on being held guilty of contravention of any of the provisions of this Act or any rules made there-under which has resulted in an accident causing serious bodily injury or death of a worker, he shall, on conviction, be punished with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees and which may be extended upto one lakh rupees.

34. *Penalty for obstructions or refusal to provide register, etc.*— (1) Whoever, wilfully obstructs the Facilitator-cum-Inspector in exercise of any powers conferred on him by or under this Act or refuses or wilfully neglects to afford a Facilitator-cum-Inspector any reasonable facility for making any inspection, examination, inquiry or investigation authorized by or under this Act in relation to an establishments, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to ten thousand rupees.

(2) Whoever, wilfully refuses to produce on the demand of a Facilitator-cum-Inspector any register or other document kept in pursuance of this Act or the rules made thereunder or prevents or attempts to prevent or does anything which he has reason to believe to prevent any person from appearing before, or being examined by, a Facilitator-cum-Inspector acting in pursuance of his duties under this Act, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to ten thousand rupees.

35. *Cognizance of offences.*— (1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act and the rules made thereunder unless a complaint in respect thereof is made by the Facilitator-cum-Inspector within six months of the date on which the alleged commission of the offence came to the knowledge of the Facilitator-cum-Inspector.

(2) No court inferior to that of a Judicial Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act or the rules made thereunder.

36. *Compounding of offences.*— (1) Any offence punishable under this Act, on an application of the accused person, either before or after the institution of any prosecution, be compounded by a Gazetted Officer, as the State Government may, by Notification, specify, with fine provided for such offence, in the manner as may be prescribed.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to an offence committed by a person for the second time or thereafter within a period of five years from the date—

(a) of commission of a similar offence which was earlier compounded;

(b) of commission of similar offence for which such person was earlier convicted.

(3) Every officer referred to in sub-section (1) shall exercise the powers to compound an offence, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

(4) Every application for the compounding of an offence shall be made in such form and manner as may be prescribed.

(5) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

(6) Where the compounding of any offence is made after the institution of any prosecution, such compounding shall be brought by the officer referred to in sub-section (1) in writing, to the notice of the Court in which the prosecution is pending and on such notice of the compounding of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged.

(7) Any person who fails to comply with an order made by the officer referred to in sub-section (1), shall be liable to pay a sum equivalent to twenty per cent of the maximum fine provided for the offence, in addition to such fine.

(8) No offence punishable under the provisions of this Act shall be compounded except under and in accordance with the provisions of this section.

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

37. *Power to exempt.*— The State Government may, by Notification in the Official Gazette, exempt from the operation of all or any of the provisions of this Act or rules, any establishment or class thereof or any employer or worker or person or class of employers or workers or persons to whom this Act applies for any period on such terms and conditions, as it may think fit.

38. *Rights and privileges under other laws etc., not affected.*— Nothing in this Act shall affect any right or privileges which a worker in any establishment is entitled to at the date of commencement of this Act under any other law, contract, custom or usage applicable to such establishment or any award, settlement or agreement binding on the employer and the worker in such establishment, if such rights or privileges are more favourable to him than those to which he would be entitled under this Act.

39. *Protection of action taken in good faith.*— No suit, prosecution or legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

40. *Application of the Employees' Compensation Act, 1923.*— The provisions of the Employees' Compensation Act, 1923 (Central Act 8 of 1923), and the rules made thereunder, shall so far as may be, apply to every establishment to whom section 6 as well as section 7 of the Act applies.

41. *Power to make rules.*— (1) The Government may, by Notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be subject to the condition of previous publication.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature, while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session or sessions immediately following, the House agree in making any modification in any rule or agree that the rule should not be made, and notify their decision to that effect in the Official Gazette, the rule shall, from the date of publication of such decision in the Official Gazette, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

42. *Power to remove difficulties.*— (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, as occasion arises, by an order published in the *Official Gazette*, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:

Provided that, no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

43. *Repeal and savings.*— On and from the date of commencement of this Act, the Goa Shops and Establishments Act, 1973 (Act No. 13 of 1974), shall stand repealed :

Provided that,—

(a) every appointment order, rule, bye-law, regulation, notification, registration or notice made, issued or given under the provisions of the Act so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made, issued or given under the provisions of this Act, unless and until superseded by any appointment, order, rule, bye-law, regulation, notification or notice made, issued or given under this Act;

(b) any proceeding relating to the trial of any offence punishable under the provisions of the Act so repealed shall be continued and completed as if the said Act had not been repealed but had continued in operation and any penalty imposed on such proceedings shall be recovered under the Act so repealed.

Secretariat,
Porvorim-Goa.
Dated: 01-10-2025.

SANDIP JACQUES
Secretary to the
Government of Goa,
Law Department
(Legal Affairs).

Notification

7/26/2025-LA/144

Date : 01-Oct-2025

The Goa Panchayat Raj (Amendment) Act, 2025 (Goa Act 24 of 2025), which has been passed by the Legislative Assembly of Goa on 07-08-2025 and assented to by the Governor of Goa on 24-09-2025, is hereby published for the general information of the public.

Dnyaneshwar Raut Dessai, Joint Secretary (Law).
Porvorim.

The Goa Panchayat Raj (Amendment) Act, 2025
(Goa Act 24 of 2025)

AN

ACT

[24/09/2025]

further to amend the Goa Panchayat Raj Act, 1994 (Goa Act No. 14 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Goa in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title and commencement.*— (1) This Act may be called the Goa Panchayat Raj (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall come into force at once.

2. *Amendment of section 47.*— In the Goa Panchayat Raj Act, 1994 (Goa Act No. 14 of 1994) (hereinafter referred to as the “principal Act”), for Clause (i), following clause shall be substituted, namely:—

“(i) to issue licences for construction, repairs, modification or alteration of a building, so also occupancy certificate thereof, in pursuance of the resolution of the Panchayat, except for repairs of building which consists of a single dwelling unit for which no resolution is required;”.